

उत्तर प्रदेश के विभिन्न विकास क्षेत्रों के अन्तर्गत भवन निर्माण विनियमन की कार्यवाही हेतु भवन निर्माण उपविधि में विभिन्न संशोधन प्रस्तावित है, जो नीचे प्रस्तुत है। प्रस्तावित भवन निर्माण उपविधि पर जन-सामान्य, निजी विकासकर्ताओं, उठोप्रो आवास एवं विकास परिषद, समस्त विकास प्राधिकरणों व समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों का सुझाव आमंत्रित है, जो निम्न ई-मेल आईडीो पर दिया जा सकता है:-

- 1- व्हकोल , ओ ' क्झज्ह फु; क्ष्ट उ फोह्क्क्ख % awas@up.nic.in
- 2- व्हकोल चू/क्झ म०ि ठ % awasbandhu@gmail.com
- 3- ए॒[; उख्ज , ओ ख्के फु; क्ष्ट द] म०ि ठ % ctc pup@gmail.com

ए, १० द० ज्होक्ल्रो%


निदेशक,
आवास बन्धु, उठोप्रो

f0kdkl i kf/kdj . k Hkou fuekZk , oa fodkl mi fof/k 2008 e@ i Lrkfor | d kks'ku


| प्रस्तर सं. | वर्तमान प्राविधान | i Lrkfor d kks'ku |
|------------------|---|--|
| 1.2.6 | “LVVV ¶ykg” का तात्पर्य प्लिन्थ से खम्मो (पिलर्स) पर बनी हुई संरचना जो न्यूनतम तीन तरफ से खुली हो एवं पार्किंग के प्रयोजनार्थ अभिप्रेत हो, से है। | “LVVV ¶ykg” का तात्पर्य प्लिन्थ से खम्मो (पिलर्स) पर बनी हुई संरचना जो न्यूनतम दो तरफ से खुली हो, Q'kL s che rd vf/kdre Apkbl 2-10 ehVj gks एवं पार्किंग के प्रयोजनार्थ अभिप्रेत हो, से है। |
| 1.2.35 | “cktkj LVIV” का तात्पर्य सड़क के किनारे पक्षितबद्ध (लीनियर) रूप में मिश्रित निर्माण/महायोजना में इस रूप में चिह्नित क्षेत्र से है, जिसमें सामान्यतः भूतल पर व्यवसायिक एवं अनुवर्ती तलों पर आवासीय/अन्य उपयोग हो। | “cktkj LVIV” का तात्पर्य सड़क के किनारे पक्षितबद्ध (लीनियर) रूप में मिश्रित निर्माण से है जो महायोजना/जोनल प्लान में इस रूप में चिह्नित किया गया हो। |
| 1.2.41 | “fol Qykg” का तात्पर्य किन्ही दो मंजिलों के बीच 1.75 मीटर की ऊँचाई तक की मंजिल जो कि केवल भवन से सम्बन्धित पाइप, सर्विस डक्ट इत्यादि के उपयोग में लाया जाए, से है। | “fol Qykg” का तात्पर्य किन्ही दो मंजिलों के बीच फर्श से सीलिंग तक अधिकतम 2-10 ehVj की ऊँचाई तक की मंजिल जो कि केवल भवन से सम्बन्धित पाइप, सर्विस डक्ट इत्यादि के उपयोग में लाया जाए, से है। |
| 1.2.48 | — | “ikfM; e ikfdik” dk rkri ; lfcfYMax bUoVi ykbu ds vUrxir ikfdik i; kstukFkz Hkry ds Aij che dh fupyh lrg rd vf/kdre 2-10 eh- ApS ry@ryka lsg ftI es okguka ds i; vks vkj fudkl ds fy, jfi dh 0; oLFkk gks rFkk e; d; ukbTM ikfdik dh fLFkfr e; okLrfod fMt kbu ds vu; kj i; vks vkj fudkl dh 0; oLFkk gkA |
| 2.1.2.5 (IX) (ख) | 20 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल की योजनाओं के ले—आउट प्लान्स में पार्क एवं खुले क्षेत्र के अंतर्गत उपयुक्त जलाशय का निर्माण किया जाए, एक जलाशय के निर्माण के पूर्व संबंधित योजना के अंतर्गत वर्षा जल के प्राकृतिक कैचमेन्ट एरिया को चिह्नित करते हुए वर्षा जल के आयतन, क्षेत्र के हाइड्रोजियोलाजिकल, टोपोग्राफी, लीथालॉजी, मृदा गुणों तथा प्रस्तावित जलाशय में वर्षा जल के संभावित ठहराव (रिटेन्शन) व “स्टेगनेशन” का अध्ययन एवं तत्संबंधी फिजिबिलिटी का आंकलन किया और उसके अनुसार ही जलाशय की गहराई निर्धारित की जाए, परन्तु जलाशय की गहराई किसी भी दशा में 03 मीटर से अधिक न रखी जाए। इसके अतिरिक्त जलाशय में केवल उसी योजना के सरफेस-रन-आफ को निरस्तारित करने की व्यवस्था की जाए तथा प्रदूषित जल एवं उत्प्रवाह को उसमें न मिलाया जाए। | 10 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल की योजनाओं के ले—आउट प्लान्स में पार्क एवं खुले क्षेत्र हेतु प्रस्तावित भूमि के अंतर्गत उपयुक्त स्थलों पर जलाशय/जलाशयों का निर्माण किया जाएगा जिनका क्षेत्रफल कुल योजना क्षेत्रफल का ॥ ure 01 ifr'kr होगा। जलाशय के निर्माण के पूर्व संबंधित योजना के अंतर्गत वर्षा जल के प्राकृतिक कैचमेन्ट एरिया को चिह्नित करते हुए वर्षा जल के आयतन, क्षेत्र के हाइड्रोजियोलाजिकल, टोपोग्राफी, लीथालॉजी, मृदा गुणों तथा प्रस्तावित जलाशय में वर्षा जल के संभावित ठहराव (रिटेन्शन) व “स्टेगनेशन” का अध्ययन एवं तत्संबंधी फिजिबिलिटी का आंकलन किया जाए और उसके अनुसार ही जलाशय का आकार एवं गहराई निर्धारित की जाए, परन्तु जलाशय की अधिकतम गहराई 02 ehVj रखी जाए। इसके अतिरिक्त जलाशय में केवल उसी योजना के “सरफेस-रन-आफ” को निरस्तारित करने की व्यवस्था की जाए, प्रदूषित जल एवं उत्प्रवाह को उसमें न मिलाया जाए। पार्क व खुले क्षेत्र के अन्तर्गत निर्धारित मानकों के अनुसार एक कोने में रिचार्ज पिट/रिचार्जशैफ्ट बनाए जाएं। ऐसे रिचार्ज पिट/रिचार्ज शैफ्ट तथा जलाशय का निर्माण क्षेत्रीय हाइड्रोजियोलॉजी के अनुरूप एवं भू—जल के ढलान की दिशा में भूगर्भ जल विभाग के परामर्श के अनुसार किया जाए। |
| 2.1.2.5 (IX) (ग) | 20 एकड़ से कम क्षेत्रफल की योजनाओं में भी उपरोक्तानुसार जलाशय बनाए जाए एवं पार्क व खुले क्षेत्र के अन्तर्गत निर्धारित मानकों के अनुसार एक कोने में रिचार्ज | डिलीट किया जाता है। |

| | | |
|-------------|---|---|
| | पिट/रिचार्जशैफ्ट बनाए जाएं। ऐसे रिचार्ज पिट/रिचार्ज शैफ्ट तथा जलाशय का निर्माण क्षेत्रीय हाइड्रोजियोलॉजी के अनुरूप एवं भू-जल के ढलान की दिशा में भूगर्भ जल विभाग के परामर्श के अनुसार किया जाए। | |
| 2.1.2.6 (v) | & | विकास प्राधिकरणों, आवास एवं विकास परिषद एवं निजी विकासकर्ताओं द्वारा विकसित की जाने वाली कालोनियों में टेलीकाम इन्फास्ट्रक्चर हेतु भूमिगत टेलीकाम डक्ट अनिवार्य रूप से बनाया जायेगा। |
| 2.1.5(II) | प्रार्थी के आवेदन पर उक्त अवधि में प्राधिकरण द्वारा निर्धारित शुल्क लेकर एक-एक वर्ष की अवधि हेतु अधिकतम तीन बार वृद्धि दी जा सकती है। | प्रार्थी के आवेदन पर उक्त अवधि <i>ds i 'pkri kf/kdj.k }kjk vo'ksk fuelk k ij fu/kfj r 'k\y d yd j vf/kdre rhu o"kk\ gsrq l e; kof}</i> दी जा सकती है। |
| 2.2.2 (II) | खुले स्थान की सीमा बिल्डिंग लाइन से न्यूनतम 3 मीटर की दूरी पर होगी। | खुले स्थान की सीमा ; FkkfLFkfr Hk [k.M dh I hek@fcfYMx ykbu rd ekU; gkxhA i jUrq Hk [k.M dh I hek I s 3-0 ehVj rd ds Lfkku dks bl i frclU/k ds v/khu i kFk&os ds : lk e@ j [kk tk; sk] fd , s i kFk&os dk {ks=Qy i tuxr [kys LFkku ds dly {ks=Qy I s 5 i fr'kr I s vf/kd ugha gkxkA , s i kFk&ost vfuok; h% i jQkjVM CykDI @l kexh I s fufelr fd, tk; xA |
| 2.3 | सड़कें | I M@ i kFkost rFkk I kbldy VD |
| 2.3.1 | आवासीय भू-उपयोग के विकास में सड़कों एवं नालियों का नियोजन निम्नवत किया जाएगा:- | आवासीय भू-उपयोग (ग्रुप हाउसिंग सहित) के विकास में सड़कों एवं नालियों का नियोजन निम्नवत किया जाएगा:- |
| 2.3.7 | सड़कों के किनारे यथासम्भव कच्चे रखे जाएंगे अथवा "ब्रिक-ऑन-एज"/"लूज स्टोन पेवमेन्ट" का प्राविधान किया जाएगा, ताकि ग्राउन्ड वाटर की अधिक से अधिक रिचार्जिंग सम्भव हो सके। | सड़कों के किनारे यथासम्भव कच्चे रखे जाएंगे अथवा पाथ-वे का प्राविधान किया जाएगा। ऐसे पाथ-वे परफोरेटेड सामग्री से निर्मित होंगे या "ब्रिक-ऑन-एज"/"लूज स्टोन पेवमेन्ट" का प्राविधान किया जाएगा, ताकि ग्राउन्ड वाटर की अधिक से अधिक रिचार्जिंग सम्भव हो सके। |
| 2.3.8 | - | साइकिल ट्रैक निर्माण की विशिष्टियाँ/प्राविधान निम्नवत होंगी:- I kbldy VD fuelk k dh fofsh"V; k@i kfo/kku आई0आर0सी0 : 11-1962 के Draft Revision में मानकों के अनुसार साइकिल ट्रैक के निर्माण हेतु निम्न विशिष्टियाँ/प्राविधान होंगे। यदि आई0आर0सी0 : 11-1962 के संशोधित ड्रापट आने पर किसी मद का प्राविधान आई.आर.सी. कोड में भिन्न है, तो आई.आर.सी. कोड के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। Design (A) Width Desirable Lane Width • Arterial Roads & Sub Arterial Roads 2.5 m |

| | | |
|--|--|--------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Distributory Roads | 1.5 to 2.5 m |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Minimum width for a two lane cycle track should be 2.2 m. and 3 m to 4 m for a common cycle track and footpath. In case of distributory roads minimum width should be 1.2 m. | |
| <u>Obstacles</u> | | |
| <p>Where trees, electric poles and other encroachments create hindrance in the natural path of cycle, change the course of the cyclist with proper turning radius and bring back to the natural path. At such places minimum width in a stretch of 40 m can be:-</p> <p>Cycle Track = 0.75 m Pedestrian = 0.6 m</p> | | |
| (B) Pavement Thickness | | |
| (i) | Sub-base (GSB) | 10 cm thick |
| (ii) | Base (WMM) | 7.5 cm |
| (iii) | BM | 5 cm thick |
| (iv) | BC | 2.5 cm |
| <p>बी.सी. एवं एस.डी.बी.सी. के स्थान पर Micro surfacing भी की जा सकती है।</p> | | |
| (C) Edge Treatment | | |
| (1) Inner side | | |
| <p>मुख्य कैरिज—वे एवं साईकिल ट्रैक को अलग करने के लिये मुख्य कैरिज—वे की एज की ओर निम्नानुसार कार्यवाही की जाएगी :-</p> <p>(i) उपलब्ध के अनुसार प्लान्टर निर्माण। (ii) मार्ग की सतह से 15 सेमी 0 ऊंचे 30X10 सेमी 0 साइज के Kerb स्टोन।</p> | | |

| | |
|--|---|
| | <p>(iii) रोलिंग।</p> <p>ड्रेनेज के लिये यह उपर्युक्त होगा कि मुख्य कैरिज-वे मार्ग से साईकल ट्रैक का लैवल यथा सम्भव 2 से 2.5 सेमी० नीचा रखा जाएगा।</p> <p>(2) Outer side</p> <p>साईकल ट्रैक के बाहरी किनारे पर रेजड/लैवल फुटपाथ बनाया जाना चाहिये एवं पानी को ड्रेन करने के लिये केंद्री० ड्रेन का निर्माण किया जाएगा।</p> <p>(D) Signage Marking</p> <p>(i) कैरिज-वे के ऊपर 50 से 60 मी० की दूरी पर White colour से साईकल का Symbol बनाया जाएगा:-</p>  <p>For Cycle Tracks/ Lanes</p> |
|--|---|

| | | | | | | |
|---|--|---|-------------------------------------|---|--|--|
| | <p>(ii) साईकिल ट्रैक जिस स्थान पर मुख्य मार्ग को क्रास करेगा, उस स्थान पर भी 4 मी० चौड़ाई में हरे रंग से Coloured surfacing कर साईकिल ट्रैक का Symbol बनाया जाएगा:-</p>  <p>For Cycle Boxes</p> | | | | | |
| | <p>(iii) रोड मार्किंग के लिये आई०आर०सी० : 11-1962 में प्राविधानित साईनेज का निम्नानुसार उपयोग किया जाएगा:-</p>  | | | | | |
| | <table border="1"> <tr> <td>Cycle Prohibited Note - to prohibit cyclists from using elevated roads like flyovers and they should remain at grade for movement.</td> <td>Compulsory cycle track/ cycles only</td> <td>Compulsory Route For Cyclists & Pedestrians</td> </tr> </table> | Cycle Prohibited Note - to prohibit cyclists from using elevated roads like flyovers and they should remain at grade for movement. | Compulsory cycle track/ cycles only | Compulsory Route For Cyclists & Pedestrians | | |
| Cycle Prohibited Note - to prohibit cyclists from using elevated roads like flyovers and they should remain at grade for movement. | Compulsory cycle track/ cycles only | Compulsory Route For Cyclists & Pedestrians | | | | |
| | <table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | | | | | |
| | | | | | | |
| | <table border="1"> <tr> <td>Segregated Cycle & Pedestrian Route</td> <td>Cycle Crossing</td> <td>Cycle Route Ahead</td> </tr> </table> | Segregated Cycle & Pedestrian Route | Cycle Crossing | Cycle Route Ahead | | |
| Segregated Cycle & Pedestrian Route | Cycle Crossing | Cycle Route Ahead | | | | |



| | | |
|---------|---|---|
| | | <p>Cross section – Distributory street with Parking.</p> <p>Cross section – Distributory street</p> |
| 2.4.1.3 | उप डाकघर 100 वर्गमीटर अथवा मान्यता हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित क्षेत्रफल, जो भी कम हो। | उप डाकघर 100 वर्गमीटर अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित क्षेत्रफल, जो भी कम हो। mi Mkd?kj dk i kfo/kku 0; kol kf; d@l fo/kktud ndkuk@dk; kly; Hkouka@ I Fkkxr Hkouka@Hk [k. Mka ea Hkh fd; k tk l drk gA |
| 2.4.1.3 | कम्प्यूटराइज्ड रेल आरक्षण काउन्टर 50 वर्ग मीटर अथवा मान्यता हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित क्षेत्रफल, जो भी कम हो। | b&l fo/kk dlnz ¼ 15000 tul A; k ij½ 50 oxz ehVj vFkok ftykf/kdkjh }kj k fu/kfjr {k=Qy] tks Hkh de gkA bl dk i kfo/kku 0; kol kf; d@dk; kly; Hkouka@ I Fkkxr Hkouka@Hk [k. Mka ea Hkh fd; k tk l drk gA |
| 2.4.1.3 | (i) ए.टी.एम. सहित एक्सटेन्सन काउन्टर 15000 जनसंख्या पर-1 काउन्टर हेतु फ्लोर एरिया 75 वर्गमीटर (ii) ए.टी.एम हेतु फ्लोर एरिया 6 वर्गमीटर | fMyhV fd; k tk rk gA |
| 2.4.1.3 | (i) 11 के.वी.ए. 15000 जनसंख्या पर 1500 वर्ग मीटर (ii) 33के.वी.ए.-1.0 एकड़ | (i) 11 के.वी.ए. 15000 जनसंख्या पर - 1500 वर्ग मीटर (ii) 33के.वी.ए.-1.0 एकड़ |
| | (iii) 66 के.वी.ए 5000 जनसंख्या पर - 1.1.5 एकड़ | (iii) 66 के.वी.ए 50000 जनसंख्या पर - 1.1.5 एकड़+ |
| | (iv) 132 के.वी.ए.-5 एकड़ | (iv) 132 के.वी.ए.-5 एकड़ |

| | | |
|-----------------|---|--|
| | (v) 220 के.वी.ए. 50000 जनसंख्या पर-1.10 एकड़ | (v) 220 के.वी.ए .500000 जनसंख्या पर-1.10 एकड़ fVII.i.kh % fo q c&LVs ku grq v ru i k fxdh ds fy, mijkDr ekudks I s de {k=Qy i Lrkfor djus dh fLFkfr e@ cf/kr foHkkx I s I gefr@vuki frr i klr dj ayku djuh gkshA |
| 2.4.1.6 | कीड़ा कियाएं | इस प्रस्तर के अंत में निम्नानुसार टिप्पणी सम्मिलित की जाती है:- fVIIk.kh % y&vkMv lyku Lrj ij i Lrkfor i kdz , oa [kys LFku ds {k=Qy ds vUrxr **ucjgM dHMk dHn* rFkk **vkokl h; bdkb; k@ e@ dHMk&dHn* i kfo/kfur fd, tk l drs gA |
| 2.4.2 (III) | जनसंख्या का आंकलन एक आवासीय इकाई हेतु (ग्रुप-हाउसिंग सहित) 5 व्यक्ति के मानक के आधार पर किया जाएगा। भूखण्डीय विकास के अन्तर्गत 50 वर्ग मीटर तक के भूखण्ड पर 1 इकाई, 50 से अधिक तथा 200 वर्ग मीटर तक के भूखण्ड पर 2 इकाईयों, 200 से अधिक तथा 300 वर्ग मीटर तक के भूखण्ड पर 3 इकाईयों, 300 से अधिक तथा 500 वर्गमीटर तक के भूखण्ड पर 4 इकाईयों अनुमन्य होगी। 500 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल के न्यूनतम 12 मीटर एवं अधिक चौड़ी विद्यमान सड़क पर स्थित भूखण्डों में प्रति 200 वर्ग मीटर पर एक इकाई परन्तु अधिकतम 12 इकाईयों अनुमन्य होंगी तथा 4 से अतिरिक्त इकाईयों हेतु उनके कुल तल क्षेत्रफल पर प्राधिकरण के वर्तमान सेक्टर रेट का 10 प्रतिशत शुल्क देय होगा। जहां प्राधिकरण का सेक्टर रेट उपलब्ध न हो, वहां जिलाधिकारी का वर्तमान सर्किल रेट लागू होगा। नियोजित कालोनियों में एक से अधिक भूखण्डों को समेकित (Amalgamate) कर यह सुविधा अनुमन्य नहीं होगी। भ-आच्छादन एवं एफ.ए.आर. के मानक यथावत् रहेंगे तथा पाकिंग के प्राविधान समृद्ध आवास हेतु प्रस्तावित मानकों के अनुसार होंगे।" | जनसंख्या का आंकलन एक आवासीय इकाई हेतु (ग्रुप-हाउसिंग सहित) 5 व्यक्ति के मानक के आधार पर किया जाएगा। भूखण्डीय विकास के अन्तर्गत 50 वर्ग मीटर तक के भूखण्ड पर 1 इकाई, 50 l s vf/kd rFkk 150 oxl ehVj rd ds Hk[k.M ij 2 bdkb; k]W 150 l s vf/kd rFkk 300 oxl ehVj rd ds Hk[k.M ij 4 bdkb; k]W 300 oxl ehVj l s vf/kd ijUrq 2000 oxl ehVj rd {k=Qy ds Hk[k.Mk@ e@ i fr 100 oxl ehVj ij ,d bdkbl ijUrq vf/kdre 20 bdkb; k@ ds vk/kkj ij tul q;k dk vkyu fd; k tk; skA |
| 2.5.1.6 | समस्त उपयोगों के भूखण्डों हेतु पार्किंग व्यवस्था इस उपविधि के प्रस्तर 3.10 में प्राविधानित मानकों के अनुसार की जाएगी। | समस्त उपयोगों के भूखण्डों हेतु पार्किंग व्यवस्था इस उपविधि के प्रस्तर 3.10 में प्राविधानित मानकों के अनुसार की जाएगी, परन्तु 200 वर्गमीटर तक के भूखण्डों में जहाँ मानकों के अनुसार पार्किंग दिया जाना सम्भव नहीं है वहाँ पार्किंग हेतु वांछित क्षेत्रफल के वर्तमान आवासीय सर्किल रेट पर आंकित मूल्य के बराबर भू-स्वामी से धनराशि जमा कराकर निर्माण अनुज्ञा दी जा सकेगी। विकास प्राधिकरण द्वारा उक्त धनराशि को एक अलग खाते में जमा किया जाएगा तथा समुचित धनराशि जमा होने पर यथासंभव समीपस्थ क्षेत्र में कामन पार्किंग हेतु प्राविधान किया जायेगा। |
| 3.1.2.3 (v) (a) | & | नवनिर्मित होने वाले सभी श्रेणी के भवन परिसरों में मानकों के अनुसार आप्टिकल फाइबर के लिए डक्ट का प्राविधान। |
| 3.1.5 (II) | पाँच वर्ष की प्रारम्भिक स्वीकृति की अवधि समाप्त हो जाने के पूर्व भू-स्वामी द्वारा प्रार्थना पत्र दिए जाने पर प्राधिकरण ऐसी शर्तों और प्रतिबन्धों के अधीन रहते हुए जो वह आरोपित करना उचित समझे, एक बार में एक वर्ष के लिए अधिकतम 3 बार स्वीकृति के नवीनीकरण की अनुमति निर्धारित शुल्क लेकर दे सकता है। | पाँच वर्ष की प्रारम्भिक स्वीकृति की अवधि समाप्त हो जाने के पूर्व भू-स्वामी द्वारा प्रार्थना पत्र दिए जाने पर प्राधिकरण ऐसी शर्तों और प्रतिबन्धों के अधीन रहते हुए जो वह आरोपित करना उचित समझे, vf/kdre 3 o"kk ds fy, i u% vo'k'sk fuekLk ij fu/kffj r 'k/d yadj l e; kof) ns l drk gA |

| | | |
|----------------------------------|---|---|
| 3.1.9 | (I) पुरातत्व विभाग द्वारा घोषित संरक्षित स्मारकों/हेरिटेज स्थलों की सीमा से 100 मीटर की परिधि के अन्दर निर्माण की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी तथा इसके पश्चात् 200 मीटर तक के क्षेत्र में किसी भी निर्माण हेतु पुरातत्व विभाग की अनापत्ति आवश्यक होंगी। | "पुरातत्व विभाग द्वारा घोषित संरक्षित स्मारकों/हेरिटेज स्थलों ds i kfgfcVM , f; j ; k ds vUnj fuekZk vuKk ns ugha gkxh rFkk bl ds lk' pkr jxgjVM , f; j ; k ds {ks= ea fdI h Hkh fuekZk dI vuKk fn , ufl , UV eku; vlfVt , .M vklfd{ ksyklt dy l kbVt , .M fjeJl , DV]1958 ds i kfo/kkuk ds v/khu i jkrRo foHkkx }jk i nRr vuki frr ds v/kkj i j ns gkxhAB |
| 3.2.3 होटल | भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल 1000 वर्ग मीटर होगा जो आवासीय क्षेत्र में न्यूनतम 18 मीटर चौड़े विद्यमान मार्ग पर तथा गैर-आवासीय क्षेत्र में न्यूनतम 24 मीटर चौड़े विद्यमान मार्ग पर स्थित होगा। महायोजना/परिक्षेत्रीय योजना तथा सेक्टर/ले-आउट प्लान में निर्दिष्ट स्थलों पर तथा स्थानीय वाणिज्यिक केन्द्र में भूखण्ड का क्षेत्रफल इससे कम हो सकता है। होटल के निर्माण हेतु अन्य अपेक्षाएं इस उपविधि के अध्याय-5 के अनुसार होंगी। | भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल 1000 वर्ग मीटर होगा जो vkokl h; mi ; kx e fufel@fodfl r {ks= ea U; ure 12 ehVj pkMf u,@vfodfl r {ks= ea U; ure 18 ehVj pkMs fo eku ekxz ij rFkk xj &vkokl h; Hk&mi ; kx e fufel@fodfl r {ks= ea U; ure 18 ehVj rFkk u,@vfodfl r {ks= ea U; ure 24 ehVj pkMs fo eku ekxz ij fLFkr gkxkA महायोजना/परिक्षेत्रीय योजना तथा सेक्टर/ले-आउट प्लान में निर्दिष्ट स्थलों पर तथा स्थानीय वाणिज्यिक केन्द्र में भूखण्ड का क्षेत्रफल इससे कम हो सकता है। होटल के निर्माण हेतु अन्य अपेक्षाएं इस उपविधि के अध्याय-5 के अनुसार होंगी। |
| 3.2.6 पेट्रोल पम्प/फिलिंग स्टेशन | पेट्रोल पम्प/फिलिंग स्टेशन के लिए भूखण्ड का न्यूनतम आकार 30 मी. x 17 मी. होगा तथा फिलिंग स्टेशन-कम- सर्विस स्टेशन का न्यूनतम आकार 45 मी. x 36 मी. होगा, जो न्यूनतम 24 मीटर चौड़े विद्यमान मार्ग पर स्थित होगा। पेट्रोल फिलिंग स्टेशन के निर्माण हेतु अन्य अपेक्षाएं इस उपविधि के अध्याय-8 के अनुसार होंगी। | पेट्रोल पम्प/फिलिंग स्टेशन के लिए भूखण्ड का न्यूनतम आकार 16 el- x 14 el-] fQfyk&de&l fo] LVku dk U; ure vkdkj 25 el- x 25 el- gkxk] tks fufel , oa fodfl r {ks= ea U; ure 12 ehVj rFkk u,@vfodfl r {ks= ea U; ure 24 ehVj pkMs ekxz ij fLFkr gkxkA पेट्रोल फिलिंग स्टेशन के निर्माण हेतु अन्य अपेक्षाएं इस उपविधि के अध्याय-8 के अनुसार होंगी। |
| 3.2.10 मल्टीप्लेक्स | मल्टीप्लेक्स हेतु भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल 4000 वर्गमीटर होगा, जो न्यूनतम 24 मीटर चौड़े विद्यमान मार्ग पर स्थित होगा। परन्तु महायोजना/ जोनल प्लान /सेक्टर प्लान/ले-आउट प्लान जो सक्षम स्तर से अनुमोदित है, में मल्टीप्लेक्स हेतु चिह्नित स्थलों पर उक्त प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा। मल्टीप्लेक्स के निर्माण हेतु अन्य अपेक्षाएं इस उपविधि के अध्याय-14 के अनुसार होंगी। | मल्टीप्लेक्स हेतु भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल 4000 वर्गमीटर होगा, जो न्यूनतम 24 मीटर चौड़े विद्यमान मार्ग पर स्थित होगा। परन्तु महायोजना/जोनल प्लान/सेक्टर प्लान/ले-आउट प्लान जो सक्षम स्तर से अनुमोदित है, में मल्टीप्लेक्स हेतु चिह्नित स्थलों अथवा विद्यमान छविगृहों को तोड़कर उनके स्थान पर मल्टीप्लेक्स प्रस्तावित होने पर उक्त प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा। मल्टीप्लेक्स के निर्माण हेतु अन्य अपेक्षाएं इस उपविधि के अध्याय-14 के अनुसार होंगी। |
| 3.3.4(I) | गुप्त हाउसिंग भवनों में पार्किंग के प्रयोजनार्थ स्टिल्ट फ्लोर अनुमन्य होगा, जिसकी बीम तक अधिकतम ऊँचाई 2.1 मीटर होंगी। | xij gkmfI x Hkouka e i kfdlk ds i ; kstukfkz fLVVV QykJ vupe; gkxkA |
| 3.3.4 (II) | यदि स्टिल्ट फ्लोर का उपयोग पार्किंग से भिन्न उपयोग में लाया जाता है, तो उसकी गणना एफ.ए.आर. में की जायेगी। | यदि स्टिल्ट फ्लोर का उपयोग पार्किंग ,oa vU; vupekfnr mi ; kxkA से भिन्न उपयोग में लाया जाता है, तो उसकी गणना एफ.ए.आर. में की जायेगी। |
| 3.3.6 (II) | अधिकतम भू-आच्छादन 40 प्रतिशत अनुमन्य होगा। भवन की प्रतिबन्धित ऊँचाई के क्षेत्रों में अधिकतम भू-आच्छादन 45 प्रतिशत अनुमन्य होगा। | अधिकतम भू-आच्छादन 40 प्रतिशत अनुमन्य होगा। सुरक्षा जोन एवं संरक्षित स्मारकों के प्रतिबन्धित ऊँचाई वाले क्षेत्रों में अधिकतम भू-आच्छादन 55 प्रतिशत तक अनुमन्य होगा। |
| 3.3.6(III) | नए/अविकसित क्षेत्रों में अधिकतम एफ.ए.आर. 2.5 अनुमन्य होगा, तथा निर्मित क्षेत्र एवं पूर्व विकसित योजनाओं/आवंटित भूखण्डों में अधिकतम एफ.ए.आर. 1.5 अनुमन्य होगा। | नए/अविकसित क्षेत्रों में अधिकतम एफ.ए.आर.2.5 अनुमन्य होगा तथा निर्मित क्षेत्र एवं पूर्व विकसित योजनाओं/आवंटित भूखण्डों में अधिकतम एफ.ए.आर.1.5 अनुमन्य होगा। mDr ds vfrfjDr vupe; , Q-, -vkj- dk vf/kdre 5-0 i fr'kr foHkklu i dkj dh I qkvka ; Fkk&okrkudsfyrl a f] fyIV ds I keus fyIV ds ckgj |

| | | |
|-------------|---|--|
| | | <p>xfy; kjs dks NkMadj½ 10 oxZ ehVj rd ykkh] eEVh] fy]V ds fy, e'ku d{kj vyekfj; ka , oa o&foUMkst %vf/kdre 0-60 ehVj xgjkbz ,oa 1-80 ehVj yckbz rd½ fjp; iit , f; k ¼, u-ch-l h- ds vuq kj½ I fo MDV rFkk I keplkf; d dñnz ds fy, vuq; gksxkA</p> <p>5000 oxZ ehVj I s vf/kd {ks=Qy ds Hk[k.Mka ea xhu fcFYMax ds i kfo/kkuk dh i frz djus dh fLFkfr ea yHM@vkbzth-ch-l h- }kj k U; ure xkym jyM rFkk xgk }kj k U; ure 4 fl rkjs jfVx dh Js kh ea j [ks x, Hkouka ea vuq; ,Q., -vkj- dk 5-0 ifr'kr vfrfjDr ,Q., -vkj- fu%kyd ns gksxk bl grq vkond }kj k mDr I 1Fkkvka I sjfVx I EcU/kh i ek.k&i = iklr dj iLrq djuk gksxkA</p> |
| 3.3.6(X) | युप हाउसिंग योजनाओं के लिए 'नेट' भूमि (योजना के कुल क्षेत्रफल में से 18 मीटर एवं अधिक चौड़ी सड़कें, पार्क एवं खुले क्षेत्र तथा सामुदायिक सुविधाओं के क्षेत्रफल को घटाते हुए अवशेष भूमि) पर एफ.ए.आर. देय होगा। | <p>pkj gDVsj rd ds {ks=Qy dh xij gkmfl x ; kstuk@Hk[k.M ds fy, ; kstuk@ Hk[k.M ds dly {ks=Qy ij , Q., -vkj- ns gksxkA , d h ; kstuk@Hk[k.Mka ea fu; kftr gkus okyh tul a; k ds fy, ekudka ds vuq kj okfN r fo/kkuk dk i kfo/kku mDr ,Q., -vkj ds vUrxt g fd; k tk; xkA 4-0 gDVsj I s vf/kd {ks=Qy dh xij gkmfl x ; kstukvka ds fy, puVB Hkifc ¼ kstuk ds dly {ks=Qy ea I s 18 eh0 ,oa vf/kd pkMh I Mdi i kdZ ,oa [kys {ks= ¼15 ifr'kr½ rFkk I keplkf; d I fo/kkuk ds {ks=Qy dks ?Vkrsgq vo'ksk Hkifel ij ,Q., -vkj- ns gksxkA</p> |
| 3.3.6 (XII) | - | <p>xij gkmfl x ij; kstukvka ds I Vcsl {ks= ds vrxr ckyduh ds i kstD'kI bl i frck ds v/khu vuq; gksxk fd vfxu I j[kk grq Qk; j VMj ds vkokxeu grq Hkifry I s U; ure 6 eh0 Åpkbz dk {ks= vojkuk eDr jgsk rFkk bl ea fdI h Hkh i dkj dk i kstD'ku vuq; ugha gksxkA 1-5 ehVj pkMkbz rd ckyduh dh x.kuk ,Q., -vkj- ea I feefyr ugha dh tk, xh tcfd 1-5 ehVj I s vf/kd rFkk vf/kdre 3-0 ehVj pkMkbz rd ckyduh ds 25 ifr'kr {ks=Qy dh x.kuk ,Q., -vkj- ea dh tk, xhA</p> |

3.4.2
व्यवसायिक / का
र्यालय /
संस्थागत / सामु
दायिक
सुविधाएं / सभा
भवन

12-5 ehVj Åpkbl rd vf/kdre rhu efty%

| Hk\{k.M | dk | \$&c\{d \vehVj \{ | | | |
|---------------------------------|-----|-------------------|-----------|----------|----------|
| | | VxHkkx | i "B Hkkx | Ikk' o&1 | Ikk' o&2 |
| 200 तक (व्यवसायिक को छोड़कर) | 3.0 | 3.0 | - | - | |
| 201–500 तक (व्यवसायिक सहित) | 4.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
| 500 से अधिक (व्यवसायिक सहित) | 6.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |

fVII .kh% 10.5 मीटर की ऊँचाई तक के व्यवसायिक एवं कार्यालय भवनों में जिनका भू–आच्छादन 400 वर्ग मीटर तक है, में प्रकाश एवं संवातन की व्यवस्था सुनिश्चित होने पर पृष्ठ भाग व पार्श्व में सेट–बैक आवश्यक नहीं होगा, परन्तु कोने के भूखण्ड में अग्रभाग के सेट–बैक के बराबर पार्श्व सेट–बैक अनिवार्य होगा।

3-4-2 \1\0; ol kf; d@dk; k\y; Hkou \15 ehVj Åpkbl rd vf/kdre pkj efty%

| Hk\{k.M | dk | \$&c\{d \vehVj \{ | | | |
|-------------|-----|-------------------|-----------|----------|----------|
| | | VxHkkx | i "B Hkkx | Ikk' o&1 | Ikk' o&2 |
| 200 तक | 3.0 | 3.0 | - | - | |
| 201–500 तक | 4.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 500 से अधिक | 6.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |

fVII .kh% व्यवसायिक भवनों में जिनका भू–आच्छादन 400 वर्ग मीटर तक है, में प्रकाश एवं संवातन की व्यवस्था सुनिश्चित होने पर पृष्ठ भाग व पार्श्व में सेट–बैक आवश्यक नहीं होगा, परन्तु कोने के भूखण्ड में अग्रभाग के सेट–बैक के बराबर पार्श्व सेट–बैक अनिवार्य होगा।

3-4-2 \1\1 | 1Fkkxr@I keqkf; d | fo/kk \f' k{k.k | 1Fkkvka dks NkMdj \{ Hkou \12-5 ehVj Åpkbl rd%

| Hk\{k.M | dk | \$&c\{d \vehVj \{ | | | |
|---------------|------|-------------------|-----------|----------|----------|
| | | VxHkkx | i "B Hkkx | Ikk' o&1 | Ikk' o&2 |
| 200 तक | 3.0 | 3.0 | - | - | |
| 201–500 तक | 6.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | - |
| 501–2000 तक | 9.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 2001–4000 तक | 9.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 4001–30000 तक | 9.0 | 6.0 | 4.5 | 4.5 | |
| 30000 से अधिक | 15.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |

3-4-4
vks| kfxd
Hkou

(12.5 मीटर ऊँचाई तक)

| Hk\{k.M | dk | \$&c\{d \vehVj \{ | | | |
|------------|-----|-------------------|-----------|----------|----------|
| | | VxHkkx | i "B Hkkx | Ikk' o&1 | Ikk' o&2 |
| 100 तक | 3.0 | - | - | - | |
| 101–200 तक | 4.5 | 1.5 | 1.5 | - | |

(12.5 मीटर ऊँचाई तक)

| Hk\{k.M | dk | \$&c\{d \vehVj \{ | | | |
|------------|-----|-------------------|-----------|----------|----------|
| | | VxHkkx | i "B Hkkx | Ikk' o&1 | Ikk' o&2 |
| 100 तक | 3.0 | - | - | - | |
| 101–200 तक | 4.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|---|------|-----|-----|-----|--|--|------|-----|-----|-----|
| | 201–300 तक | 4.5 | 2.0 | 2.0 | - | | 201–300 तक | 4.5 | 2.0 | 2.0 | - |
| | 301–400 तक | 4.5 | 3.5 | 3.0 | - | | 301–400 तक | 4.5 | 3.5 | 3.0 | - |
| | 401–500 तक | 6.0 | 3.5 | 3.5 | - | | 401–500 तक | 6.0 | 3.5 | 3.5 | - |
| | 501–600 तक | 6.0 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | | 501–600 तक | 6.0 | 4.0 | 3.5 | 3.5 |
| | 601–1000 तक | 7.5 | 4.5 | 4.0 | 4.0 | | 601–1000 तक | 7.5 | 4.5 | 4.0 | 4.0 |
| | 1001–5000 तक | 9.0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | | 1001–5000 तक | 9.0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| | 5001–30000 तक | 9.0 | 9.0 | 4.5 | 4.5 | | 5001–30000 तक | 9.0 | 9.0 | 4.5 | 4.5 |
| | 30000 से अधिक | 15.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | | 30000 से अधिक | 15.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| | टिप्पणी: औद्योगिक भवनों में प्रवेश द्वार के निकट बाउण्ड्रीवाल से सटे हुए गार्डरूम, जनरेटर रूम का निर्माण अनुमत्य होगा जिसका क्षेत्रफल भूखण्ड के कुल क्षेत्रफल का 5 प्रतिशत परन्तु 4000 मीटर क्षेत्रफल तक के भूखण्ड में अधिकतम 50 वर्ग मीटर होगा जबकि 4000 मीटर क्षेत्रफल से ऊपर के भूखण्ड पर अधिकतम 100 वर्ग मीटर होगा। | | | | | | | | | | |
| 3.4.5 | (I) 12.5 eh- l s vf/kd Åpkbl ds Hkou | | | | | | 12.5 eh- l s vf/kd mpkbz ds Hkou ½15 ehVj Åpkbl rd ds 0; ol kf; d@dk; kly; Hkouks dks NKMdj½ | | | | |

| 3.4.5(I) | <p>12.5 मीटर से अधिक ऊँचाई के भवनों हेतु सेट-बैक निम्नवत् होंगे :—</p> <table border="1" data-bbox="382 262 1066 878"> <thead> <tr> <th>भवन की ऊँचाई (मीटर)</th><th>चारों ओर छोड़े जाने वाला सेट बैक (मीटर)</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>12.5 से 15 तक</td><td>5.0</td></tr> <tr><td>15 से 18 तक</td><td>6.0</td></tr> <tr><td>18 से 21 तक</td><td>7.0</td></tr> <tr><td>21 से 24 तक</td><td>8.0</td></tr> <tr><td>24 से 27 तक</td><td>9.0</td></tr> <tr><td>27 से 30 तक</td><td>10.0</td></tr> <tr><td>30 से 35 तक</td><td>11.0</td></tr> <tr><td>35 से 40 तक</td><td>12.0</td></tr> <tr><td>40 से 45 तक</td><td>13.0</td></tr> <tr><td>45 से 50 तक</td><td>14.0</td></tr> <tr><td>50 से अधिक</td><td>15.0</td></tr> </tbody> </table> | भवन की ऊँचाई (मीटर) | चारों ओर छोड़े जाने वाला सेट बैक (मीटर) | 12.5 से 15 तक | 5.0 | 15 से 18 तक | 6.0 | 18 से 21 तक | 7.0 | 21 से 24 तक | 8.0 | 24 से 27 तक | 9.0 | 27 से 30 तक | 10.0 | 30 से 35 तक | 11.0 | 35 से 40 तक | 12.0 | 40 से 45 तक | 13.0 | 45 से 50 तक | 14.0 | 50 से अधिक | 15.0 | <p>12.5 मीटर से अधिक ऊँचाई के भवनों हेतु सेट-बैक निम्नवत् होंगे :—</p> <table border="1" data-bbox="1163 262 1930 878"> <thead> <tr> <th>भवन की ऊँचाई (मीटर)</th><th>चारों ओर छोड़े जाने वाला सेट बैक (मीटर)</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>12.5 से अधिक एवं 15 तक</td><td>5.0</td></tr> <tr><td>15 से 18 तक</td><td>6.0</td></tr> <tr><td>18 से 21 तक</td><td>7.0</td></tr> <tr><td>21 से 24 तक</td><td>8.0</td></tr> <tr><td>24 से 27 तक</td><td>9.0</td></tr> <tr><td>27 से 30 तक</td><td>10.0</td></tr> <tr><td>30 से 35 तक</td><td>11.0</td></tr> <tr><td>35 से 40 तक</td><td>12.0</td></tr> <tr><td>40 से 45 तक</td><td>13.0</td></tr> <tr><td>45 से 50 तक</td><td>14.0</td></tr> <tr><td>50 से 55 तक</td><td>15.0</td></tr> <tr><td>55 से अधिक</td><td>16.0</td></tr> </tbody> </table> | भवन की ऊँचाई (मीटर) | चारों ओर छोड़े जाने वाला सेट बैक (मीटर) | 12.5 से अधिक एवं 15 तक | 5.0 | 15 से 18 तक | 6.0 | 18 से 21 तक | 7.0 | 21 से 24 तक | 8.0 | 24 से 27 तक | 9.0 | 27 से 30 तक | 10.0 | 30 से 35 तक | 11.0 | 35 से 40 तक | 12.0 | 40 से 45 तक | 13.0 | 45 से 50 तक | 14.0 | 50 से 55 तक | 15.0 | 55 से अधिक | 16.0 |
|------------------------|---|---------------------|---|---------------|-----|-------------|--------------------------|-------------|-----|-------------|-----------------------|-------------|------|-------------|------------------------------------|-------------|------|-------------|---------------------|-------------|------|-------------|---|------------|------|--|---------------------|---|------------------------|-----|-------------|--------------------------|-------------|-----|-------------|--|-------------|------|-------------|---|-------------|------|-------------|----------------------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|------------|------|
| भवन की ऊँचाई (मीटर) | चारों ओर छोड़े जाने वाला सेट बैक (मीटर) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.5 से 15 तक | 5.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 से 18 तक | 6.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 से 21 तक | 7.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 से 24 तक | 8.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 से 27 तक | 9.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 से 30 तक | 10.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 से 35 तक | 11.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 से 40 तक | 12.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 से 45 तक | 13.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 से 50 तक | 14.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 से अधिक | 15.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| भवन की ऊँचाई (मीटर) | चारों ओर छोड़े जाने वाला सेट बैक (मीटर) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.5 से अधिक एवं 15 तक | 5.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 से 18 तक | 6.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 से 21 तक | 7.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 से 24 तक | 8.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 से 27 तक | 9.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 से 30 तक | 10.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 से 35 तक | 11.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 से 40 तक | 12.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 से 45 तक | 13.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 से 50 तक | 14.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 से 55 तक | 15.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 55 से अधिक | 16.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.6(I) | <p>खुले स्थान में अधिकतम 1.0 मीटर तक की चौड़ाई का छत/छज्जे का निर्माण किया जा सकता है, जो खुले स्थान की चौड़ाई के आधे से अधिक नहीं होगा, जिसकी गणना एफ.ए.आर. में नहीं की जाएगी। mDr Nr@NTts dk fuelk k Ei wkl [kys LFku ds {ks=Qy dl vf/kdre 10 i fr'kr dh l hek rd vuell; gkxk] j uRq mDr Nr@NTts ds Åij fdI h i dkj dk fuelk k vuell; ugha gkxkA</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.5.1 | <table border="1" data-bbox="382 1113 1066 1439"> <tbody> <tr><td>2-</td><td>0; ol kf; d</td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td>1/d½ fufelr@fodfl r {ks=</td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td>(I) सुविधाजनक दुकानें</td><td>60</td><td>1.20</td></tr> <tr><td></td><td>(II) नेबरहुड /सेक्टर शापिंग सेन्टर</td><td>40</td><td>1.20</td></tr> <tr><td></td><td>(III) बाजार स्ट्रीट</td><td>40</td><td>1.20</td></tr> <tr><td></td><td>(IV) उपनगर केन्द्र/सब सेन्ट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट</td><td>40</td><td>1.75</td></tr> </tbody> </table> | 2- | 0; ol kf; d | | | | 1/d½ fufelr@fodfl r {ks= | | | | (I) सुविधाजनक दुकानें | 60 | 1.20 | | (II) नेबरहुड /सेक्टर शापिंग सेन्टर | 40 | 1.20 | | (III) बाजार स्ट्रीट | 40 | 1.20 | | (IV) उपनगर केन्द्र/सब सेन्ट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट | 40 | 1.75 | <table border="1" data-bbox="1081 1113 1930 1439"> <tbody> <tr><td>2-</td><td>0; ol kf; d</td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td>1/d½ fufelr@fodfl r {ks=</td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td>(I) नगर केन्द्र/ सेन्ट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट</td><td>45</td><td>2-00</td></tr> <tr><td></td><td>(II) उपनगर केन्द्र/सब सेन्ट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट /जोनल व्यवसायिक केन्द्र</td><td>50</td><td>1-75</td></tr> <tr><td></td><td>(III) अन्य व्यवसायिक</td><td>60</td><td>1-50</td></tr> </tbody> </table> | 2- | 0; ol kf; d | | | | 1/d½ fufelr@fodfl r {ks= | | | | (I) नगर केन्द्र/ सेन्ट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट | 45 | 2-00 | | (II) उपनगर केन्द्र/सब सेन्ट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट /जोनल व्यवसायिक केन्द्र | 50 | 1-75 | | (III) अन्य व्यवसायिक | 60 | 1-50 | | | | | | |
| 2- | 0; ol kf; d | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1/d½ fufelr@fodfl r {ks= | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (I) सुविधाजनक दुकानें | 60 | 1.20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (II) नेबरहुड /सेक्टर शापिंग सेन्टर | 40 | 1.20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (III) बाजार स्ट्रीट | 40 | 1.20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (IV) उपनगर केन्द्र/सब सेन्ट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट | 40 | 1.75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2- | 0; ol kf; d | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1/d½ fufelr@fodfl r {ks= | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (I) नगर केन्द्र/ सेन्ट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट | 45 | 2-00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (II) उपनगर केन्द्र/सब सेन्ट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट /जोनल व्यवसायिक केन्द्र | 50 | 1-75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (III) अन्य व्यवसायिक | 60 | 1-50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | |
|----|--|----|------|--|
| | डिस्ट्रिक्ट / डिस्ट्रिक्ट शापिंग सेन्टर | | | |
| | (V) नगर केन्द्र(सेन्ट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट) | 50 | 1.50 | |
| | | 40 | 1.75 | |
| | | 30 | 2.00 | |
| | केन्द्रीय उपचार सेवा | | | |
| | (I) सुविधाजनक दुकानें | 50 | 1.50 | |
| | (II) नेवरहुड / सेक्टर शापिंग सेन्टर | 40 | 1.75 | |
| | (III) उपनगर केन्द्र / सब सेन्ट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट / डिस्ट्रिक्ट शापिंग सेन्टर | 35 | 2.00 | |
| | (IV) नगर केन्द्र(सेन्ट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट) | 30 | 3.00 | |
| 3. | 3- dk; kly; | | | |
| | (क) निर्मित क्षेत्र | 40 | 1.50 | |
| | (ख) विकसित क्षेत्र | 30 | 2.00 | |
| | (ग) नए / अविकसित क्षेत्र | | | |
| | • राजकीय एवं अर्द्ध राजकीय | 35 | 2.00 | |
| | • प्रोफेशनल / व्यवसायिक कार्यालय | 30 | 2.50 | |

| | | | | |
|--|--|----|------|--|
| | केन्द्रीय उपचार सेवा | | | |
| | (I) नगर केन्द्र / सेन्ट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट | 40 | 3.00 | |
| | (II) उपनगर केन्द्र / सब सेन्ट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट / जोनल व्यवसायिक केन्द्र | 45 | 2.50 | |
| | (III) अन्य व्यवसायिक | 50 | 1.75 | |

fVII.i.kh : 'अन्य व्यावसायिक' के अन्तर्गत सेक्टर/नेवरहुड/स्थानीय स्तर के शापिंग सेन्टर, बाजार रस्ट्रीट तथा सुविधाजनक दुकानें शामिल होंगे।

| | | | | |
|--|--------------------------|----|------|--|
| | केन्द्रीय उपचार सेवा | | | |
| | (क) निर्मित क्षेत्र | 50 | 1.50 | |
| | (ख) विकसित क्षेत्र | 45 | 2.00 | |
| | (ग) नए / अविकसित क्षेत्र | 40 | 2.50 | |

fVII.i.kh% 200 oxl ehVj rd {ke=Qy ds dk; kly; Hkouka e= mi jkDr rkfydk e fu/kkfj r Hk&vkPNknu ds LFkku ij fcfYMaX bUoYi ykbu rd Hk&vkPNknu vupe; gkskA

| | | | | | |
|----|----|---|----|------|--|
| 4. | 4. | 'kʃ{kd | | | |
| | | (क) निर्मित / विकसित क्षेत्र | | | |
| | | ● प्राइमरी व नर्सरी स्कूल | 35 | 0.80 | |
| | | ● हाईस्कूल / इंटरमीडिएट / उच्च तर अस्थाएं | 30 | 1.00 | |
| | | (ख) नए / अविकसित क्षेत्र | | | |
| | | ● नर्सरी स्कूल | 40 | 0.80 | |
| | | ● प्राइमरी | 35 | 1.00 | |
| | | ● हाईस्कूल / इंटरमीडिएट | 35 | 1.20 | |
| | | ● डिग्री कॉलेज | 35 | 1.50 | |
| | | ● तकनीकी प्रबंधन | 35 | 2.00 | |
| 5. | 5. | Lkkenpkf; d , oə ɿFkkxr fo/kk, a | | | |
| | | (क) निर्मित / विकसित क्षेत्र | 35 | 1.50 | |
| | | (ख) नए / अविकसित क्षेत्र | | | |
| | | ● सामुदायिक केन्द्र, बारात घर एवं धार्मिक भवन | 40 | 1.50 | |
| | | ● अन्य संस्थागत | 30 | 2.00 | |
| | | vks kfxd | | | |
| | | 1/d/ fufel@fodfl r {kʃ= भूखण्ड का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर) | | | |
| | | ● 100 तक | 60 | 1.20 | |
| | | ● 101-450 | 60 | 1.00 | |
| | | ● 451-2000 | 55 | 0.80 | |
| 7- | 7- | vks kfxd | | | |
| | | 1/d/ fufel@fodfl r {kʃ= भूखण्ड का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर) | | | |
| | | ● 100 तक | 60 | 1.20 | |
| | | ● 101-450 | 60 | 1-20 | |
| | | ● 451-2000 | 55 | 1-00 | |

| | | <ul style="list-style-type: none"> • 2001–12,000 • 12001–20,000 • 20,000 से अधिक <p>½ u, @vfodfl r {ks=</p> <ul style="list-style-type: none"> • फ्लैटेड फैक्ट्रीज • लघु एवं हल्के उद्योग • वृहद उद्योग | 55 | 0.70 | | <ul style="list-style-type: none"> • 2001–12,000 • 12001–20,000 • 20,000 से अधिक <p>½ u, @vfodfl r {ks=</p> <ul style="list-style-type: none"> • फ्लैटेड फैक्ट्रीज • लघु एवं हल्के उद्योग • वृहद उद्योग | 55 | 0.90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|-------------------|--|---|------------------------------|------|--|--|--|----|------|--|---------------------|--|--|--|---|----|------|--|--|----|------|--|--|----|------|--|--|--|---|----|-------------------|--|--|------------------------------|--|--|--|--|----|------|--|---------------------|--|--|--|---|----|------|--|--|----|------|--|--|----|------|--|--|--|
| 9. | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>9-</th><th>Fkkd 0; kol kf; d</th><th></th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(क) निर्मित / विकसित क्षेत्र</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td> <ul style="list-style-type: none"> • फल एवं सब्जी मण्डी • अन्य थोक व्यवसाय </td><td>40</td><td>0.80</td><td></td></tr> <tr> <td>½ u, @vfodfl r {ks=</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td> <ul style="list-style-type: none"> • ग्रेन मार्केट </td><td>35</td><td>1.00</td><td></td></tr> <tr> <td> <ul style="list-style-type: none"> • फल एवं सब्जी मण्डी • अन्य थोक व्यवसाय </td><td>40</td><td>1.00</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>50</td><td>1.50</td><td></td></tr> </tbody> </table> | 9- | Fkkd 0; kol kf; d | | | (क) निर्मित / विकसित क्षेत्र | | | | <ul style="list-style-type: none"> • फल एवं सब्जी मण्डी • अन्य थोक व्यवसाय | 40 | 0.80 | | ½ u, @vfodfl r {ks= | | | | <ul style="list-style-type: none"> • ग्रेन मार्केट | 35 | 1.00 | | <ul style="list-style-type: none"> • फल एवं सब्जी मण्डी • अन्य थोक व्यवसाय | 40 | 1.00 | | | 50 | 1.50 | | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>9-</th><th>Fkkd 0; kol kf; d</th><th></th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(क) निर्मित / विकसित क्षेत्र</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td> <ul style="list-style-type: none"> • फल एवं सब्जी मण्डी • अन्य थोक व्यवसाय </td><td>40</td><td>1.00</td><td></td></tr> <tr> <td>½ u, @vfodfl r {ks=</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td> <ul style="list-style-type: none"> • ग्रेन मार्केट </td><td>35</td><td>1.00</td><td></td></tr> <tr> <td> <ul style="list-style-type: none"> • फल एवं सब्जी मण्डी • अन्य थोक व्यवसाय </td><td>40</td><td>1.00</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>50</td><td>1.50</td><td></td></tr> </tbody> </table> | 9- | Fkkd 0; kol kf; d | | | (क) निर्मित / विकसित क्षेत्र | | | | <ul style="list-style-type: none"> • फल एवं सब्जी मण्डी • अन्य थोक व्यवसाय | 40 | 1.00 | | ½ u, @vfodfl r {ks= | | | | <ul style="list-style-type: none"> • ग्रेन मार्केट | 35 | 1.00 | | <ul style="list-style-type: none"> • फल एवं सब्जी मण्डी • अन्य थोक व्यवसाय | 40 | 1.00 | | | 50 | 1.50 | | | |
| 9- | Fkkd 0; kol kf; d | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (क) निर्मित / विकसित क्षेत्र | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • फल एवं सब्जी मण्डी • अन्य थोक व्यवसाय | 40 | 0.80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ½ u, @vfodfl r {ks= | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • ग्रेन मार्केट | 35 | 1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • फल एवं सब्जी मण्डी • अन्य थोक व्यवसाय | 40 | 1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 50 | 1.50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9- | Fkkd 0; kol kf; d | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (क) निर्मित / विकसित क्षेत्र | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • फल एवं सब्जी मण्डी • अन्य थोक व्यवसाय | 40 | 1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ½ u, @vfodfl r {ks= | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • ग्रेन मार्केट | 35 | 1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • फल एवं सब्जी मण्डी • अन्य थोक व्यवसाय | 40 | 1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 50 | 1.50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.5.2 कय—योग्य एफ.ए.आर | 3-5-2-1 एफ.ए.आर. को मार्केट डिमान्ड' के अनुसार लचीला (Flexible) बनाने हेतु निर्मित, विकसित तथा नए/अविकसित क्षेत्रों में कय—योग्य एफ.ए.आर. निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अनुमन्य होगा:— (क) निर्मित विकसित तथा नए/अविकसित क्षेत्र में 24 मीटर एवं उससे अधिक चौड़ी सड़कों पर ही कय—योग्य एफ.ए.आर. अनुमन्य होगा। | | Lik"Vhdj . k& **u, @vfodfl r {ks=** dkykUrj e, **fodfl r {ks=** dh Jskh e, fpfUgr gkus dh fLFkfr e, , s {ks=k e, fLFkr Hk[k. Mka grq Hk&vkPNknu , oa , Q-, -vkj-y&vkmV@fcfYMa lyku ds vupeknu ds l e; ylkxw Hk&vkPNknu , oa , Q-, -vkj-l s de ugha gkxKA | | | एफ.ए.आर. को मार्केट डिमान्ड' के अनुसार लचीला (Flexible) बनाने हेतु निर्मित, विकसित तथा नए/अविकसित क्षेत्रों में कय—योग्य एफ.ए.आर. निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अनुमन्य होगा:— (क) निर्मित, विकसित तथा नए/अविकसित क्षेत्र में 18 मीटर एवं उससे अधिक चौड़ी सड़कों पर कय—योग्य एफ.ए.आर. अनुमन्य होगा। | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | <p>(ख) ग्रुप हाउसिंग, व्यवसायिक, कार्यालय तथा सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक / सामुदायिक सुविधाएं भू-उपयोगों के लिए क्य-योग्य एफ.ए.आर. निम्न सीमा तक अनुमन्य होगा:-</p> <table border="1" data-bbox="401 350 1045 677"> <thead> <tr> <th>क्षेत्र की प्रकृति</th><th>क्य-योग्य एफ.ए.आर</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>• निर्मित क्षेत्र</td><td>बेसिक एफ.ए.आर. का 20 प्रतिशत</td></tr> <tr> <td>• विकसित क्षेत्र</td><td>बेसिक एफ.ए.आर. का 33 प्रतिशत</td></tr> <tr> <td>• नए / अविकसित क्षेत्र</td><td>बेसिक एफ.ए.आर. का 50 प्रतिशत (परन्तु बेसिक एफ.ए.आर. सहित अधिकतम 4.0 एफ.ए.आर.)</td></tr> </tbody> </table> | क्षेत्र की प्रकृति | क्य-योग्य एफ.ए.आर | • निर्मित क्षेत्र | बेसिक एफ.ए.आर. का 20 प्रतिशत | • विकसित क्षेत्र | बेसिक एफ.ए.आर. का 33 प्रतिशत | • नए / अविकसित क्षेत्र | बेसिक एफ.ए.आर. का 50 प्रतिशत (परन्तु बेसिक एफ.ए.आर. सहित अधिकतम 4.0 एफ.ए.आर.) | <p>Ø; & ; kx; , Q-, -vkj- dh vuell; rk l Md dh pkMkbz ds vk/kkj ij fuEuor~gkxh%&</p> <table border="1" data-bbox="1119 252 2048 644"> <tr> <td>{ks= dh i dfr</td><td>Ø; & ; kx; , Q-, -vkj-</td></tr> <tr> <td>• fufelr {ks=</td><td>cfl d , Q-, -vkj- dk 20 ifr'kr</td></tr> <tr> <td>• fodfl r {ks=</td><td>• 18 ehVj , oa vf/kd ijUrq 24 ehVj ls de pkMh l Md ij cfl d , Q-, -vkj- dk 33 ifr'kr</td></tr> <tr> <td>• u, @vfodfl r {ks=</td><td>• 24 ehVj ls vf/kd pkMh l Md ij cfl d , Q-, -vkj- dk 50 ifr'kr</td></tr> <tr> <td></td><td>• 18 eh , oa vf/kd ijUrq 24 ehVj ls de pkMh l Md ij cfl d , Q-, -vkj- dk 33 ifr'kr</td></tr> <tr> <td></td><td>• 24 ehVj , oa vf/kd pkMh l Md ij cfl d , Q-, -vkj- dk 50 ifr'kr</td></tr> </table> <p>fVii .kh % *fufelr@fodfl r {ks= e flFkr , s xij gkmfl x@cgeftys Hkou ; Fkk&0; kol kf; d] dk; kly;] fefJr mi ; kx] l Fkkxr@l kepkf; d l fo/kk, a Hkx&mi ; kxka ds Hkx[k. M ftudk U; ure~ {ks=Qy 4-0 gDVsj gks , oa U; ure-30-0 ehVj pkMh fo eku l Md ls igp dh l fo/kk mi yC/k g§ ds fy, Hkou fuekLk , oa fodkl mi fof/k ds vuq kj vuell; cfl d , Q-, -vkj- ds Åij Ø; & ; kx; , Q-, -vkj- bl ifrcu/k ds v/khu vuell; gkxk fd Ø; & ; kx; l fgr vf/kdre , Q-, -vkj- 3-0 gkxkA xij gkmfl x e Ø; & ; kx; , Q-, -vkj- ds l ki sk l ekuj kfrd vk/kkj ij vkokl h; bdkbz kj vuell; gkxh] tks ipfyr ?kuRo ekudka ds vfrfjDr gkxhA</p> | {ks= dh i dfr | Ø; & ; kx; , Q-, -vkj- | • fufelr {ks= | cfl d , Q-, -vkj- dk 20 ifr'kr | • fodfl r {ks= | • 18 ehVj , oa vf/kd ijUrq 24 ehVj ls de pkMh l Md ij cfl d , Q-, -vkj- dk 33 ifr'kr | • u, @vfodfl r {ks= | • 24 ehVj ls vf/kd pkMh l Md ij cfl d , Q-, -vkj- dk 50 ifr'kr | | • 18 eh , oa vf/kd ijUrq 24 ehVj ls de pkMh l Md ij cfl d , Q-, -vkj- dk 33 ifr'kr | | • 24 ehVj , oa vf/kd pkMh l Md ij cfl d , Q-, -vkj- dk 50 ifr'kr |
|------------------------|---|---|-------------------|-------------------|------------------------------|------------------|------------------------------|------------------------|---|---|---------------|------------------------|---------------|--------------------------------|----------------|--|---------------------|--|--|--|--|--|
| क्षेत्र की प्रकृति | क्य-योग्य एफ.ए.आर | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| • निर्मित क्षेत्र | बेसिक एफ.ए.आर. का 20 प्रतिशत | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| • विकसित क्षेत्र | बेसिक एफ.ए.आर. का 33 प्रतिशत | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| • नए / अविकसित क्षेत्र | बेसिक एफ.ए.आर. का 50 प्रतिशत (परन्तु बेसिक एफ.ए.आर. सहित अधिकतम 4.0 एफ.ए.आर.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| {ks= dh i dfr | Ø; & ; kx; , Q-, -vkj- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| • fufelr {ks= | cfl d , Q-, -vkj- dk 20 ifr'kr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| • fodfl r {ks= | • 18 ehVj , oa vf/kd ijUrq 24 ehVj ls de pkMh l Md ij cfl d , Q-, -vkj- dk 33 ifr'kr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| • u, @vfodfl r {ks= | • 24 ehVj ls vf/kd pkMh l Md ij cfl d , Q-, -vkj- dk 50 ifr'kr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | • 18 eh , oa vf/kd ijUrq 24 ehVj ls de pkMh l Md ij cfl d , Q-, -vkj- dk 33 ifr'kr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | • 24 ehVj , oa vf/kd pkMh l Md ij cfl d , Q-, -vkj- dk 50 ifr'kr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.5.2.4 | <p>क्य योग्य एफ.ए.आर. शुल्क की गणना निम्न फार्मूला के अनुसार की जायेगी।</p> <p>$C = Le \times Rc \times P$</p> <p>$C = \text{भुल्क} (\text{चार्ज})$</p> <p>$Le = \text{क्य योग्य एफ.ए.आर. हेतु अनुपातिक भूमि की आवश्यकता (वर्गमीटर); i.e. Fp » FAR}$</p> <p>$Fp = \text{क्य-योग्य एफ.ए.आर. के अनुसार अनुमन्य अतिरिक्त तल क्षेत्रफल (वर्गमीटर)}$</p> <p>$FAR = \text{महायोजना/भवन उपविधि के अनुसार अनुमन्य तल क्षेत्रफल अनुपात (बेसिक एफ.ए.आर.)}$</p> <p>$Rc = \text{भूमि की दर}$</p> <p>$uk\%$</p> <p>(I) वाणिज्यिक, कार्यालय/संस्थागत तथा ग्रुप हाउसिंग के प्रकरणों में</p> | <p>क्य-योग्य एफ.ए.आर. शुल्क की गणना निम्न फार्मूला के अनुसार की जायेगी:-</p> <p>$C = Le \times Rc \times P$</p> <p>$C = \text{शुल्क} (\text{चार्ज})$</p> <p>$Le = \text{क्य योग्य एफ.ए.आर. हेतु अनुपातिक भूमि की आवश्यकता (वर्गमीटर); i.e. Fp » FAR}$</p> <p>$Fp = \text{क्य-योग्य एफ.ए.आर. के अनुसार अनुमन्य अतिरिक्त तल क्षेत्रफल (वर्गमीटर)}$</p> <p>$FAR = \text{महायोजना/भवन उपविधि के अनुसार अनुमन्य तल क्षेत्रफल अनुपात (बेसिक एफ.ए.आर.)}$</p> <p>$Rc = \text{भूमि की दर}$</p> <p>$uk\% Hkfe dh orku nj dk rkri ; l i kf/kdj.k dh orku vkokl h; nj ls g§ tgka i kf/kdj.k dh nj mi yC/k ugla g§ ogkafykf/kdkjh }kj k fu/kkjfr l fdy jV ls g§$</p> <p>$P = \text{क्य-योग्य फैक्टर}$</p> <p>क्य-योग्य एफ.ए.आर. शुल्क की गणना हेतु भू-उपयोग के अनुसार गुणांक निम्नवत होंगे:-</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

जहाँ नीलामी हुई है, वहाँ नीलामी की दर अथवा प्राधिकरण का वर्तमान सेक्टर रेट, दोनों में जो अधिक हो, के आधार पर गणना की जायेगी। जहाँ नीलामी नहीं हुई है तथा प्राधिकरण का सेक्टर रेट, जिलाधिकारी के सर्किल रेट से कम हो, ऐसे प्रकरणों में जिलाधिकारी के वर्तमान सर्किल रेट एवं प्राधिकरण के वर्तमान सेक्टर रेट के योग के 1/2 के आधार पर गणना की जायेगी। परन्तु जहाँ प्राधिकरण का सेक्टर रेट, जिलाधिकारी के सर्किल रेट से अधिक हो, वहाँ प्राधिकरण के वर्तमान सेक्टर रेट के आधार पर ही गणना की जायेगी।

(II) सामुदायिक तथा सामाजिक सुविधाएं एवं अवस्थापनाओं के लिए प्राधिकरण का वर्तमान सेक्टर रेट लागू होगा, जहाँ उक्त रेट उपलब्ध नहीं है, वहाँ जिलाधिकारी का वर्तमान सर्किल रेट लागू होगा।

P = क्या-योग्य फैक्टर

क्या-योग्य एफ.ए.आर. भुल्क की गणना हेतु भू-उपयोग के अनुसार गुणांक निम्नवत होंगे:-

| क्र.सं. | भू-उपयोग श्रेणी | प्रस्तावित गुणांक |
|---------|--|-------------------|
| 1. | वणिज्यिक | 0.80 |
| 2. | कार्यालय/संस्थागत | 0.60 |
| 3. | आवासीय (युप हाउसिंग) | 0.40 |
| 4. | सामुदायिक तथा सामाजिक सुविधाएं एवं अवस्थापनाएं | 0.30 |

उक्त%

(i) प्लाटेड डेवलपमेंट (आवासीय) तथा औद्योगिक भू-उपयोग के लिए क्या योग्य एफ.ए.आर. अनुमन्य नहीं है। आवासीय भू-उपयोग में क्या योग्य एफ.ए.आर. केवल युप हाउसिंग के लिए अनुमन्य है।

(i) कार्यालय/संस्थागत भू-उपयोग के अंतर्गत समस्त प्रकार के कार्यालय, तकनीकी एवं प्रबन्धन संस्थाएं भागिल होंगी।

(ii) सामुदायिक तथा सामाजिक सुविधाएं एवं अवस्थापनाओं के अंतर्गत स्कूल, चिकित्सालय, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, फायर स्टेशन, बारात घर/सामुदायिक केन्द्र आदि शामिल होंगे।

| क्र.सं. | भू-उपयोग श्रेणी | प्रस्तावित गुणांक |
|---------|--|-------------------|
| 1. | वणिज्यिक | 0.50 |
| 2. | मिश्रित/कार्यालय/संस्थागत | 0.45 |
| 3. | कार्यालय/संस्थागत | 0.45 |
| 4. | होटल | 0.40 |
| 5. | आवासीय (युप हाउसिंग) | 0.40 |
| 6. | सामुदायिक तथा सामाजिक सुविधाएं एवं अवस्थापनाएं | 0.20 |

उक्त%

(i) प्लाटेड डेवलपमेंट (आवासीय) तथा औद्योगिक भू-उपयोग के लिए क्या योग्य एफ.ए.आर. अनुमन्य नहीं है। आवासीय भू-उपयोग में क्या योग्य एफ.ए.आर. केवल युप हाउसिंग के लिए अनुमन्य है।

(i) कार्यालय/संस्थागत भू-उपयोग के अंतर्गत समस्त प्रकार के कार्यालय, तकनीकी एवं प्रबन्धन संस्थाएं शामिल होंगी।

(ii) सामुदायिक तथा सामाजिक सुविधाएं एवं अवस्थापनाओं के अंतर्गत स्कूल, चिकित्सालय, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, फायर स्टेशन, बारात घर/सामुदायिक केन्द्र आदि शामिल होंगे।

Li "Vhdj .%

d; & ; , Q. -vkj- 'kVd dh x.kuk gsrq fodkl i kf/kdj.k dh orkku vkokl h; nj@ftykf/kdkjh ds orkku l fdly jV dk vk'k; d; & ; , Q. -vkj- dh vuqll; rk gsrq l {ke Lrj l s vukeknu dh frffk dks ykxwnj l s gA

| | | |
|-----------------------|--|---|
| | <p>Li • Vhdj . K%</p> <p>(i) क्या योग्य एफ.ए.आर. शुल्क की गणना हेतु विकास प्राधिकरण की वर्तमान सेक्टर दर/जिलाधिकारी के वर्तमान सर्किल रेट के अंतर्गत "वर्तमान" 'बद का तात्पर्य मानचित्र स्थीकृति (Date of Plan Approval) की तिथि को लागू दर से है।</p> <p>(ii) प्राधिकरण के "वर्तमान सेक्टर रेट" का तात्पर्य "वर्तमान आवासीय दर" से है।</p> | |
| 3.5.3 (I) | <p>महायोजना/जोनल प्लान/ले—आउट प्लान में "राइट—आफ—वे" से प्रभावित/सङ्क विस्तारीकरण के अंतर्गत आ रही भूमि अथवा जन सुविधाओं यथा ग्रीन बर्ज, ग्रीन बेल्ट, पार्क, इलैक्ट्रिक सब—स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, बस स्टैंड, आदि हेतु आरक्षित भूमि से प्रभावित भूखण्डों के लिए कम्पनसेंटरी एफ.ए.आर.अनुमन्य होगा। यदि प्रभावित भूमि भू—स्वामी द्वारा प्राधिकरण को निःशुल्क हस्तांतरित कर दी जाए। कम्पनसेंटरी एफ.ए.आर.प्रभावित भूमि के 50 प्रतिशत के बराबर परन्तु उस भूखण्ड हेतु अवशेष भूमि पर अनुमन्य कुल एफ.ए.आर.के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।</p> | <p>महायोजना/जोनल प्लान/ले—आउट प्लान में "राइट—आफ—वे" से प्रभावित/सङ्क विस्तारीकरण के अंतर्गत आ रही भूमि अथवा जन सुविधाओं यथा ग्रीन बर्ज, ग्रीन बेल्ट, पार्क, इलैक्ट्रिक सब—स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, बस स्टैंड, आदि हेतु आरक्षित भूमि से प्रभावित भूखण्डों के लिए कम्पनसेंटरी एफ.ए.आर.अनुमन्य होगा, बशर्ते ऐसी भूमि भू—स्वामी द्वारा प्राधिकरण को निःशुल्क हस्तांतरित कर दी जाए। dEi ul A/jh , O,-vkj i Hkfor Hkfe ds 50 i fr•kr {ks=Qy ds cjkj gkxk ft1 dk mi ; kx ml h Hk [k.M ij fd; k tk, xka</p> |
| 3.5.6 (II) | <p>व्यवसायिक, समूह आवास, संस्थागत, कार्यालय, सामुदायिक सुविधाओं उपयोग तथा अन्य बहुखण्डीय भवनों में आच्छादित क्षेत्र का 5 प्रतिशत परन्तु अधिकतम 50 वर्ग मीटर तक का अतिरिक्त आच्छादित क्षेत्र प्रवेश द्वार के निकट गार्ड रूम, जनरेटर रूम, इलैक्ट्रिक स्वीच रूम, मीटर रूम व ट्यूब वैल के लिए इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमन्य होगा कि अग्निशमन सुरक्षा की अपेक्षाओं का उल्लंघन न हो।</p> | <p>4000 oxl ehVj rd ds 0; kol kf; d] l eig vkokl] l Fkkxr] dk; kly;] l kepkf; d l fo/kkvks mi ; kx rFkk vU; cgdk.Mh; Hkouka e; vPKNkfnr {ks= dk 5 i fr'kr ijUrq vf/kdre 50 oxl ehVj tcfd 4000 oxl ehVj l s vf/kd {ks=Qy dh; kstukvks e; vf/kdre 100 oxl ehVj vfrfjDr आच्छादित क्षेत्र प्रवेश द्वार के निकट गार्ड रूम, जनरेटर रूम, इलैक्ट्रिक स्वीच रूम, मीटर रूम व ट्यूबवैल के लिए इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमन्य होगा कि अग्निशमन सुरक्षा की अपेक्षाओं का उल्लंघन न हो।</p> |
| 3.6.5 (III) | <p>भवन में पहुंच मार्ग की ऊँचाई सङ्क के मध्य से 0.15 मीटर से अधिक नहीं होगी। गाड़ी इत्यादि जाने हेतु केंसी० ड्रेन के ऊपर बने रैम्प की लम्बाई भूखण्ड की सीमा से 1.0 मीटर से अधिक नहीं होगी।</p> | <p>भवन हेतु पहुंच मार्ग की ऊँचाई सङ्क के मध्य से 0.30 मीटर से अधिक नहीं होगी। गाड़ी इत्यादि जाने हेतु केंसी० ड्रेन के ऊपर बने रैम्प की लम्बाई भूखण्ड की सीमा से 1.0 मीटर से अधिक नहीं होगी।</p> |
| 3.6.8 सर्विस फ्लोर | <p>भवन से सम्बन्धित पाइप्स, सर्विस डक्ट्स, इत्यादि के उपयोग हेतु होटल तथा अस्पताल के बहु मंजिले भवनों में अधिकतम 1.75 मीटर (बीम सहित) की ऊँचाई की मंजिल अनुमन्य होगी,जिसकी गणना एफ.ए.आर. में नहीं की जाएगी।</p> | <p>भवन से संबंधित पाइप्स, सर्विस डक्ट्स, इत्यादि के उपयोग हेतु गुप हाउसिंग, व्यावसायिक कार्यालय, औद्योगिक, होटल, अस्पताल तथा मिश्रित उपयोग के बहुमंजिले भवनों में सर्विस फ्लोर अनुमन्य होगा जिसकी गणना एफ.ए.आर. में नहीं की जायेगी। l fo! Qykj dk i kfo/kku i R; d 4 efty ds mi jkr fd; k tk l drk g§ i jUrq, d Hkou e; vf/kdre 3 l fo! Qykj vupeU; gkxkA</p> |
| 3.7.1 (IV) | <p>यदि निवास हेतु प्रयुक्त होने वाले कमरे के लिए प्रकाश और संवातन आन्तरिक खुले स्थान से हो तो ऐसे खुले स्थान का क्षेत्रफल 12.5 मीटर ऊँचाई तक ds Hkouka ds fy, न्यूनतम 7.5 वर्गमीटर तथा न्यूनतम चौड़ाई 2.5 मीटर होगी। उपरोक्त से अधिक ऊँचे भवनों के लिए आन्तरिक खुले स्थान का क्षेत्रफल उससे संलग्न सबसे ऊँची दीवार की ऊँचाई के 1/5 के वर्ग (Square) के बराबर होगा यथा—सबसे ऊँची दीवार की ऊँचाई 30 मीटर है,</p> | <p>यदि निवास हेतु प्रयुक्त होने वाले कमरे के लिए प्रकाश और संवातन आन्तरिक खुले स्थान से हो तो ऐसे खुले स्थान का क्षेत्रफल 12.5 मीटर ऊँचाई तक ds Hkouka ds fy, न्यूनतम 7.5 वर्गमीटर तथा न्यूनतम चौड़ाई 2.5 मीटर होगी। उपरोक्त से अधिक ऊँचे भवनों के लिए आन्तरिक खुले स्थान का क्षेत्रफल उससे संलग्न सबसे ऊँची दीवार की ऊँचाई के 1/5 के वर्ग (Square) के बराबर होगा यथा—सबसे ऊँची दीवार की ऊँचाई 30 मीटर है,</p> |

| | <p>आन्तरिक खुलेस्थान की न्यूनतम चौड़ाई 3 मीटर तथा आन्तरिक खुले स्थान का क्षेत्रफल उससे संलग्न सबसे ऊँची दीवार की ऊँचाई के 1/5 के वर्ग (Square) के बराबर होगा यथा—सबसे ऊँची दीवार की ऊँचाई 30 मीटर है, तो आन्तरिक खुले स्थान का क्षेत्रफल $(30 \times 1/5) \times (3 \times 1/5)$ 3=36 वर्गमीटर होगा।</p> | तो आन्तरिक खुले स्थान का क्षेत्रफल $(30 \times 1/5) \times (3 \times 1/5)$ 3=36 वर्गमीटर होगा। | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-------------------------------------|-------|-----|-----|--|-----|-----|-------|-----|-----|-------|-----|-----|-------|-----|-----|------------|-----|-----|---|------------------------|--|-------------------------------------|-------|-----|-----|---------|-----|-----|-------|-----|-----|-------|-----|-----|-------|-----|-----|------------|-----|-----|
| 3.7.3 (II) | <p>संडास और स्नानघर, आदि संवातन हेतु सामने, पार्श्व, पीछे अथवा आन्तरिक खुले स्थान अथवा 3.0 मीटर से कम चौड़ाई के बरामदे की ओर न खुल रहे हो, तो उनका संवातन शाफ्ट द्वारा होगा, जिसका आकार एवं माप निम्नानुसार होगा :—</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Hkou dh Åpkbl/ehVj½</th> <th>I okru 'kkQV dk vkdkj ½oxl ehVj½</th> <th>'kkQV dh U; ure pkMkbz ½ehVj½</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>07 तक</td> <td>1.2</td> <td>0.9</td> </tr> <tr> <td>भूखण्डीय विकास में 12.5 एवं अन्य भवनों में 10.5 तक</td> <td>2.8</td> <td>1.2</td> </tr> <tr> <td>18 तक</td> <td>4.0</td> <td>1.5</td> </tr> <tr> <td>24 तक</td> <td>5.4</td> <td>1.8</td> </tr> <tr> <td>30 तक</td> <td>8.0</td> <td>2.4</td> </tr> <tr> <td>30 से अधिक</td> <td>9.0</td> <td>3.0</td> </tr> </tbody> </table> | Hkou dh Åpkbl/ehVj½ | I okru 'kkQV dk vkdkj ½oxl ehVj½ | 'kkQV dh U; ure pkMkbz ½ehVj½ | 07 तक | 1.2 | 0.9 | भूखण्डीय विकास में 12.5 एवं अन्य भवनों में 10.5 तक | 2.8 | 1.2 | 18 तक | 4.0 | 1.5 | 24 तक | 5.4 | 1.8 | 30 तक | 8.0 | 2.4 | 30 से अधिक | 9.0 | 3.0 | <p>संडास और स्नानघर, आदि संवातन हेतु सामने, पार्श्व, पीछे अथवा आन्तरिक खुले स्थान अथवा 3.0 मीटर से कम चौड़ाई के बरामदे की ओर न खुल रहे हो, तो उनका संवातन शाफ्ट द्वारा होगा, जिसका आकार एवं माप निम्नानुसार होगा :—</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Hkou dh Åpkbl/ehVj½</th> <th>I okru 'kkQV dk vkdkj ½oxl ehVj½</th> <th>'kkQV dh U; ure pkMkbz ½ehVj½</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>07 तक</td> <td>1.2</td> <td>0.9</td> </tr> <tr> <td>12.5 तक</td> <td>2.8</td> <td>1.2</td> </tr> <tr> <td>18 तक</td> <td>4.0</td> <td>1.5</td> </tr> <tr> <td>24 तक</td> <td>5.4</td> <td>1.8</td> </tr> <tr> <td>30 तक</td> <td>8.0</td> <td>2.4</td> </tr> <tr> <td>30 से अधिक</td> <td>9.0</td> <td>3.0</td> </tr> </tbody> </table> | Hkou dh Åpkbl/ehVj½ | I okru 'kkQV dk vkdkj ½oxl ehVj½ | 'kkQV dh U; ure pkMkbz ½ehVj½ | 07 तक | 1.2 | 0.9 | 12.5 तक | 2.8 | 1.2 | 18 तक | 4.0 | 1.5 | 24 तक | 5.4 | 1.8 | 30 तक | 8.0 | 2.4 | 30 से अधिक | 9.0 | 3.0 |
| Hkou dh Åpkbl/ehVj½ | I okru 'kkQV dk vkdkj ½oxl ehVj½ | 'kkQV dh U; ure pkMkbz ½ehVj½ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07 तक | 1.2 | 0.9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| भूखण्डीय विकास में 12.5 एवं अन्य भवनों में 10.5 तक | 2.8 | 1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 तक | 4.0 | 1.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 तक | 5.4 | 1.8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 तक | 8.0 | 2.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 से अधिक | 9.0 | 3.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hkou dh Åpkbl/ehVj½ | I okru 'kkQV dk vkdkj ½oxl ehVj½ | 'kkQV dh U; ure pkMkbz ½ehVj½ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07 तक | 1.2 | 0.9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.5 तक | 2.8 | 1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 तक | 4.0 | 1.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 तक | 5.4 | 1.8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 तक | 8.0 | 2.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 से अधिक | 9.0 | 3.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.7.3 (I) टिप्पणी : | भूखण्डीय विकास में 12.5 मी. से अधिक तथा अन्य भवनों में 10.5 मीटर से अधिक ऊँचाई के भवनों में प्राविधानित संवातन शाफ्ट की सफाई एवं अनुरक्षण हेतु शैफ्ट में प्रवेश की व्यवस्था की जाएगी। | 12.5 ehVj I svf/kd Åpkbl ds Hkouks e॥ प्राविधानित संवातन शाफ्ट की सफाई एवं अनुरक्षण हेतु शैफ्ट में प्रवेश की व्यवस्था की जाएगी। | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.8.2 चहारदीवारी | <p>(i) सामने की कम्पाउण्ड दीवार की अधिकतम ऊँचाई सड़क की मध्य रेखा के स्तर से 1.65 मीटर ऊपर होगी।</p> <p>(ii) पीछे की तथा पार्श्व की कम्पाउण्ड दीवारों की ऊँचाई अधिकतम 2.40 मीटर जिसका न्यूनतम 0.90 मीटर ऊपरी भाग जाली/ग्रिलयुक्त होगा।</p> | <p>(i) सामने की कम्पाउण्ड दीवार की अधिकतम ऊँचाई 2-40 ehVj होगी जिसका न्यूनतम 0-90 मीटर ऊपरी भाग जाली/ग्रिलयुक्त होगा।</p> <p>(ii) पीछे की तथा पार्श्व की कम्पाउण्ड दीवारों की अधिकतम ऊँचाई 2-40 ehVj होगी।</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.8.3 (III) अनुमन्यता | एट्रियम की अनुमति व्यवसायिक, कार्यालय, मल्टीप्लेक्स तथा सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, जिनका न्यूनतम क्षेत्रफल 4000 वर्गमीटर हो, में देय होगी। fefJr mi ; kx ds vUrxf ,fv^ e dh vupefr Hk[.k.M dk U; ure vkdkj I Ecl/kh vi {kk,a i wkz gkus dli fLFkfr e॥ ns gkxHA | एट्रियम की अनुमति व्यवसायिक (शापिंग माल, मल्टीप्लेक्स, होटल, आदि), कार्यालय तथा सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, जिनका न्यूनतम क्षेत्रफल 4000 वर्गमीटर हो, में देय होगी। fefJr mi ; kx ds vUrxf ,fv^ e dh vupefr Hk[.k.M dk U; ure vkdkj I Ecl/kh vi {kk,a i wkz gkus dli fLFkfr e॥ ns gkxHA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.8.3 (IV) | एट्रियम की आन्तरिक चौड़ाई उसकी कुल ऊँचाई के आधे से कम नहीं | एट्रियम की आंतरिक चौड़ाई उसकी dly Åpkbl dh vk/kh vFkok 7-5 ehVj] nkukse॥ tks vf/kd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | होगी। | gkʃ gləkhA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|---|---|---------------------|---------------------|---|--------|------------------------------|------------------|--|--|----------------------------|--------------------------------------|---|-------------------------------|------------|--------------------------------------|--|--|----------------|---------------------------------|---|---------------|--|---|--|--|--------------|--|--|--|------------------------|--------------------|--|--------|---------------------------|---------------------|---------------------|----|--------|------------------------------------|-----------|--|--|--------------------------------|---------------------------|----|-----------------------------|--------------|----------------------|--|--|------------------|----------------------|----|------------------------------|--------------|----------------------------------|--|--|------------------|----------------------------------|----|----------------|---|---|--|--|---------------|---------------------------|
| 3.8.4 | — | fudkl l EcJ/kh vi skk, a % Hkouka l s l jf{kr fudkl h grq uskuy fcfYMax dkM vkJ bf.M; k&2005 ds Hkkx&4 ds i Lrj&4-5 dh vi skkvka dk ikyu vko•; d gkskA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.85 | — | dkjhMkj , oa i st % Hkouka ea dkjhMkj , oa i st dk i kfo/kku uskuy fcfYMax dkM vkJ bf.M; k&2005 ds Hkkx&4 ds i Lrj &4-8 dh vi skkvka dk ikyu vko•; d gkskA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.9.1(III) | “बेसमेन्ट का निर्माण बगल की सम्पत्तियों की स्ट्रक्चरल सेफटी सुनिश्चित करते हुए बगल की सम्पत्तियों से न्यूनतम 2 मी. की दूरी पर अनुमन्य होगा”। | cJ ew dk fuekzl cxy dh l i fr; ka dh LVpjy l sVh l fuf' pr djrs gq Hk[k.M dh l Hkh l hekvka l sU; ure 2 eh0 NkMts ds ckn gh vuq; gkskA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.9.2 (I) | बेसमेन्ट का प्रत्येक भाग, फर्श से सीलिंग तक न्यूनतम 2.4 मीटर तथा अधिकतम 4.0 मीटर ऊँचा होगा। बेसमेन्ट की ऊँचाई, निर्धारित ऊँचाई से अधिक होने की दशा में बेसमेन्ट के संपूर्ण क्षेत्रफल की गणना एफ.ए.आर.में की जाएगी। | बेसमेन्ट का प्रत्येक भाग, फर्श से बीम तक U; ure 2-1 ehVj rFkk vf/krdre 4-5 ehVj Äpk होगा, परन्तु बेसमेन्ट में मैकनाइज्ड पार्किंग प्रस्तावित किए जाने की दशा में बेसमेन्ट की ऊँचाई वास्तविक डिजाइन पर आधारित होगी। | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.9.3(I) | विभिन्न प्रकृति के भवनों में बेसमेन्ट का निर्माण निम्न तालिकानुसार अनुमन्य होगा:— <table border="1"><tr><td>0-1 a</td><td>Hk[k.M dk {k=Qy oxl ehVj%</td><td>Hk[mi ; lk dh i dfr</td><td>cJ edV ds i kfo/kku</td></tr><tr><td>1</td><td>100 तक</td><td>1.1 आवासीय/अन्यगैर-व्यवसायिक</td><td>1.1 अनुमन्य नहीं</td></tr><tr><td></td><td></td><td>1.2 कार्यालय एवं व्यवसायिक</td><td>1.2 अनुमन्य भू—आच्छादन का 50 प्रतिशत</td></tr><tr><td>2</td><td>101 से अधिक परन्तु 2000 से कम</td><td>2.1 आवासीय</td><td>2.1 अनुमन्य भू—आच्छादन का 20 प्रतिशत</td></tr><tr><td></td><td></td><td>2.2 गैर-आवासीय</td><td>2.2 अनुमन्य भू—आच्छादन के बराबर</td></tr><tr><td>3</td><td>2000 एवं अधिक</td><td>3.1 ग्रुप हाउसिंग/व्यवसायिक एवं अन्य बहुमंजिले भवन</td><td>3.1 4000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल तक के भू-खण्डों में डबल बेसमेन्ट तथा 4000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल के भूखण्डों में तीन बेसमेन्ट</td></tr><tr><td></td><td></td><td>3.2 औद्योगिक</td><td>3.2 अनुमन्य भू—आच्छादन के बराबर, परन्तु 50 प्रतिशत की गणना एफ.ए.आर. में होगी</td></tr><tr><td></td><td></td><td>3.3 सामुदायिक सुविधाएं</td><td>3.3 ‘डबल’ बेसमेन्ट</td></tr></table> | 0-1 a | Hk[k.M dk {k=Qy oxl ehVj% | Hk[mi ; lk dh i dfr | cJ edV ds i kfo/kku | 1 | 100 तक | 1.1 आवासीय/अन्यगैर-व्यवसायिक | 1.1 अनुमन्य नहीं | | | 1.2 कार्यालय एवं व्यवसायिक | 1.2 अनुमन्य भू—आच्छादन का 50 प्रतिशत | 2 | 101 से अधिक परन्तु 2000 से कम | 2.1 आवासीय | 2.1 अनुमन्य भू—आच्छादन का 20 प्रतिशत | | | 2.2 गैर-आवासीय | 2.2 अनुमन्य भू—आच्छादन के बराबर | 3 | 2000 एवं अधिक | 3.1 ग्रुप हाउसिंग/व्यवसायिक एवं अन्य बहुमंजिले भवन | 3.1 4000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल तक के भू-खण्डों में डबल बेसमेन्ट तथा 4000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल के भूखण्डों में तीन बेसमेन्ट | | | 3.2 औद्योगिक | 3.2 अनुमन्य भू—आच्छादन के बराबर, परन्तु 50 प्रतिशत की गणना एफ.ए.आर. में होगी | | | 3.3 सामुदायिक सुविधाएं | 3.3 ‘डबल’ बेसमेन्ट | विभिन्न प्रकृति के भवनों में बेसमेन्ट का निर्माण निम्न तालिकानुसार अनुमन्य होगा:— <table border="1"><thead><tr><th>dz l a</th><th>Hk[k.M dk {k=Qy oxl ehVj%</th><th>Hk[mi ; lk dh i dfr</th><th>cJ edV ds i kfo/kku</th></tr></thead><tbody><tr><td>1-</td><td>100 rd</td><td>1-1 vkokl h; @vU; xj &0; kol kf; d</td><td>vup; ugha</td></tr><tr><td></td><td></td><td>1-2 dk; kly; , oa 0; kol kf; d</td><td>Hk[&vkPNknu dk 50 i fr'kr</td></tr><tr><td>2-</td><td>100 l s vf/kd i jUrq 500 rd</td><td>2-1 vkokl h;</td><td>Hk[&vkPNknu ds cjkcj</td></tr><tr><td></td><td></td><td>2-2 xj &vkokl h;</td><td>Hk[&vkPNknu ds cjkcj</td></tr><tr><td>3-</td><td>500 l s vf/kd i jUrq 1000 rd</td><td>3-1 vkokl h;</td><td>fcfYMax bIoVi ykbu rd , d cJ edV</td></tr><tr><td></td><td></td><td>3-2 xj &vkokl h;</td><td>fcfYMax bIoVi ykbu rd nks cJ edV</td></tr><tr><td>4-</td><td>1000 l s vf/kd</td><td>4-1 vkokl h; @xj gkmfl x] 0; kol kf; d dk; kly;] l keplf; d l fo/kk, a, oa vU; cgeftysHkou</td><td>fcfYMax , uosyi ykbu rd& 1000&2000 oxl ehVj {k=Qy rd ds Hk[k.Mka ea Mcy cJ edV 2000&10]000 rd 4 cJ edV rFkk 10]000 oxl ehVj l s vf/kd ea dkbl i frck ughA</td></tr><tr><td></td><td></td><td>4-2 vks kfxd</td><td>vup; Hk[&vkPNknu ds cjkcj</td></tr></tbody></table> | dz l a | Hk[k.M dk {k=Qy oxl ehVj% | Hk[mi ; lk dh i dfr | cJ edV ds i kfo/kku | 1- | 100 rd | 1-1 vkokl h; @vU; xj &0; kol kf; d | vup; ugha | | | 1-2 dk; kly; , oa 0; kol kf; d | Hk[&vkPNknu dk 50 i fr'kr | 2- | 100 l s vf/kd i jUrq 500 rd | 2-1 vkokl h; | Hk[&vkPNknu ds cjkcj | | | 2-2 xj &vkokl h; | Hk[&vkPNknu ds cjkcj | 3- | 500 l s vf/kd i jUrq 1000 rd | 3-1 vkokl h; | fcfYMax bIoVi ykbu rd , d cJ edV | | | 3-2 xj &vkokl h; | fcfYMax bIoVi ykbu rd nks cJ edV | 4- | 1000 l s vf/kd | 4-1 vkokl h; @xj gkmfl x] 0; kol kf; d dk; kly;] l keplf; d l fo/kk, a, oa vU; cgeftysHkou | fcfYMax , uosyi ykbu rd& 1000&2000 oxl ehVj {k=Qy rd ds Hk[k.Mka ea Mcy cJ edV 2000&10]000 rd 4 cJ edV rFkk 10]000 oxl ehVj l s vf/kd ea dkbl i frck ughA | | | 4-2 vks kfxd | vup; Hk[&vkPNknu ds cjkcj |
| 0-1 a | Hk[k.M dk {k=Qy oxl ehVj% | Hk[mi ; lk dh i dfr | cJ edV ds i kfo/kku | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 100 तक | 1.1 आवासीय/अन्यगैर-व्यवसायिक | 1.1 अनुमन्य नहीं | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.2 कार्यालय एवं व्यवसायिक | 1.2 अनुमन्य भू—आच्छादन का 50 प्रतिशत | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 101 से अधिक परन्तु 2000 से कम | 2.1 आवासीय | 2.1 अनुमन्य भू—आच्छादन का 20 प्रतिशत | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2.2 गैर-आवासीय | 2.2 अनुमन्य भू—आच्छादन के बराबर | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 2000 एवं अधिक | 3.1 ग्रुप हाउसिंग/व्यवसायिक एवं अन्य बहुमंजिले भवन | 3.1 4000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल तक के भू-खण्डों में डबल बेसमेन्ट तथा 4000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल के भूखण्डों में तीन बेसमेन्ट | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.2 औद्योगिक | 3.2 अनुमन्य भू—आच्छादन के बराबर, परन्तु 50 प्रतिशत की गणना एफ.ए.आर. में होगी | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.3 सामुदायिक सुविधाएं | 3.3 ‘डबल’ बेसमेन्ट | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| dz l a | Hk[k.M dk {k=Qy oxl ehVj% | Hk[mi ; lk dh i dfr | cJ edV ds i kfo/kku | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1- | 100 rd | 1-1 vkokl h; @vU; xj &0; kol kf; d | vup; ugha | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1-2 dk; kly; , oa 0; kol kf; d | Hk[&vkPNknu dk 50 i fr'kr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2- | 100 l s vf/kd i jUrq 500 rd | 2-1 vkokl h; | Hk[&vkPNknu ds cjkcj | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2-2 xj &vkokl h; | Hk[&vkPNknu ds cjkcj | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3- | 500 l s vf/kd i jUrq 1000 rd | 3-1 vkokl h; | fcfYMax bIoVi ykbu rd , d cJ edV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3-2 xj &vkokl h; | fcfYMax bIoVi ykbu rd nks cJ edV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4- | 1000 l s vf/kd | 4-1 vkokl h; @xj gkmfl x] 0; kol kf; d dk; kly;] l keplf; d l fo/kk, a, oa vU; cgeftysHkou | fcfYMax , uosyi ykbu rd& 1000&2000 oxl ehVj {k=Qy rd ds Hk[k.Mka ea Mcy cJ edV 2000&10]000 rd 4 cJ edV rFkk 10]000 oxl ehVj l s vf/kd ea dkbl i frck ughA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4-2 vks kfxd | vup; Hk[&vkPNknu ds cjkcj | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | होगी। | gkʃ gləkhA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.8.4 | — | fudkl l EcJ/kh vi skk, a % Hkouka l s l jf{kr fudkl h grq uskuy fcfYMax dkM vkJ bf.M; k&2005 ds Hkkx&4 ds i Lrj&4-5 dh vi skkvka dk ikyu vko•; d gkskA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.85 | — | dkjhMkj , oa i st % Hkouka ea dkjhMkj , oa i st dk i kfo/kku uskuy fcfYMax dkM vkJ bf.M; k&2005 ds Hkkx&4 ds i Lrj &4-8 dh vi skkvka dk ikyu vko•; d gkskA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.9.1(III) | “बेसमेन्ट का निर्माण बगल की सम्पत्तियों की स्ट्रक्चरल सेफटी सुनिश्चित करते हुए बगल की सम्पत्तियों से न्यूनतम 2 मी. की दूरी पर अनुमन्य होगा”। | cJ ew dk fuekzl cxy dh l i fr; ka dh LVpjy l sVh l fuf' pr djrs gq Hk[k.M dh l Hkh l hekvka l sU; ure 2 eh0 NkMts ds ckn gh vuq; gkskA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.9.2 (I) | बेसमेन्ट का प्रत्येक भाग, फर्श से सीलिंग तक न्यूनतम 2.4 मीटर तथा अधिकतम 4.0 मीटर ऊँचा होगा। बेसमेन्ट की ऊँचाई, निर्धारित ऊँचाई से अधिक होने की दशा में बेसमेन्ट के संपूर्ण क्षेत्रफल की गणना एफ.ए.आर.में की जाएगी। | बेसमेन्ट का प्रत्येक भाग, फर्श से बीम तक U; ure 2-1 ehVj rFkk vf/krdre 4-5 ehVj Äpk होगा, परन्तु बेसमेन्ट में मैकनाइज्ड पार्किंग प्रस्तावित किए जाने की दशा में बेसमेन्ट की ऊँचाई वास्तविक डिजाइन पर आधारित होगी। | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.9.3(I) | विभिन्न प्रकृति के भवनों में बेसमेन्ट का निर्माण निम्न तालिकानुसार अनुमन्य होगा:— <table border="1"><tr><td>0-1 a</td><td>Hk[k.M dk {k=Qy oxl ehVj%</td><td>Hk[mi ; lk dh i dfr</td><td>cJ edV ds i kfo/kku</td></tr><tr><td>1</td><td>100 तक</td><td>1.1 आवासीय/अन्यगैर-व्यवसायिक</td><td>1.1 अनुमन्य नहीं</td></tr><tr><td></td><td></td><td>1.2 कार्यालय एवं व्यवसायिक</td><td>1.2 अनुमन्य भू—आच्छादन का 50 प्रतिशत</td></tr><tr><td>2</td><td>101 से अधिक परन्तु 2000 से कम</td><td>2.1 आवासीय</td><td>2.1 अनुमन्य भू—आच्छादन का 20 प्रतिशत</td></tr><tr><td></td><td></td><td>2.2 गैर-आवासीय</td><td>2.2 अनुमन्य भू—आच्छादन के बराबर</td></tr><tr><td>3</td><td>2000 एवं अधिक</td><td>3.1 ग्रुप हाउसिंग/व्यवसायिक एवं अन्य बहुमंजिले भवन</td><td>3.1 4000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल तक के भू-खण्डों में डबल बेसमेन्ट तथा 4000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल के भूखण्डों में तीन बेसमेन्ट</td></tr><tr><td></td><td></td><td>3.2 औद्योगिक</td><td>3.2 अनुमन्य भू—आच्छादन के बराबर, परन्तु 50 प्रतिशत की गणना एफ.ए.आर. में होगी</td></tr><tr><td></td><td></td><td>3.3 सामुदायिक सुविधाएं</td><td>3.3 ‘डबल’ बेसमेन्ट</td></tr></table> | 0-1 a | Hk[k.M dk {k=Qy oxl ehVj% | Hk[mi ; lk dh i dfr | cJ edV ds i kfo/kku | 1 | 100 तक | 1.1 आवासीय/अन्यगैर-व्यवसायिक | 1.1 अनुमन्य नहीं | | | 1.2 कार्यालय एवं व्यवसायिक | 1.2 अनुमन्य भू—आच्छादन का 50 प्रतिशत | 2 | 101 से अधिक परन्तु 2000 से कम | 2.1 आवासीय | 2.1 अनुमन्य भू—आच्छादन का 20 प्रतिशत | | | 2.2 गैर-आवासीय | 2.2 अनुमन्य भू—आच्छादन के बराबर | 3 | 2000 एवं अधिक | 3.1 ग्रुप हाउसिंग/व्यवसायिक एवं अन्य बहुमंजिले भवन | 3.1 4000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल तक के भू-खण्डों में डबल बेसमेन्ट तथा 4000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल के भूखण्डों में तीन बेसमेन्ट | | | 3.2 औद्योगिक | 3.2 अनुमन्य भू—आच्छादन के बराबर, परन्तु 50 प्रतिशत की गणना एफ.ए.आर. में होगी | | | 3.3 सामुदायिक सुविधाएं | 3.3 ‘डबल’ बेसमेन्ट | विभिन्न प्रकृति के भवनों में बेसमेन्ट का निर्माण निम्न तालिकानुसार अनुमन्य होगा:— <table border="1"><thead><tr><th>dz l a</th><th>Hk[k.M dk {k=Qy oxl ehVj%</th><th>Hk[mi ; lk dh i dfr</th><th>cJ edV ds i kfo/kku</th></tr></thead><tbody><tr><td>1-</td><td>100 rd</td><td>1-1 vkokl h; @vU; xj &0; kol kf; d</td><td>vup; ugha</td></tr><tr><td></td><td></td><td>1-2 dk; kly; , oa 0; kol kf; d</td><td>Hk[&vkPNknu dk 50 i fr'kr</td></tr><tr><td>2-</td><td>100 l s vf/kd i jUrq 500 rd</td><td>2-1 vkokl h;</td><td>Hk[&vkPNknu ds cjkcj</td></tr><tr><td></td><td></td><td>2-2 xj &vkokl h;</td><td>Hk[&vkPNknu ds cjkcj</td></tr><tr><td>3-</td><td>500 l s vf/kd i jUrq 1000 rd</td><td>3-1 vkokl h;</td><td>fcfYMax bIoVi ykbu rd , d cJ edV</td></tr><tr><td></td><td></td><td>3-2 xj &vkokl h;</td><td>fcfYMax bIoVi ykbu rd nks cJ edV</td></tr><tr><td>4-</td><td>1000 l s vf/kd</td><td>4-1 vkokl h; @xj gkmfl x] 0; kol kf; d dk; kly;] l keplf; d l fo/kk, a, oa vU; cgeftysHkou</td><td>fcfYMax , uosyi ykbu rd& 1000&2000 oxl ehVj {k=Qy rd ds Hk[k.Mka ea Mcy cJ edV 2000&10]000 rd 4 cJ edV rFkk 10]000 oxl ehVj l s vf/kd ea dkbl i frck ughA</td></tr><tr><td></td><td></td><td>4-2 vks kfxd</td><td>vup; Hk[&vkPNknu ds cjkcj</td></tr></tbody></table> | dz l a | Hk[k.M dk {k=Qy oxl ehVj% | Hk[mi ; lk dh i dfr | cJ edV ds i kfo/kku | 1- | 100 rd | 1-1 vkokl h; @vU; xj &0; kol kf; d | vup; ugha | | | 1-2 dk; kly; , oa 0; kol kf; d | Hk[&vkPNknu dk 50 i fr'kr | 2- | 100 l s vf/kd i jUrq 500 rd | 2-1 vkokl h; | Hk[&vkPNknu ds cjkcj | | | 2-2 xj &vkokl h; | Hk[&vkPNknu ds cjkcj | 3- | 500 l s vf/kd i jUrq 1000 rd | 3-1 vkokl h; | fcfYMax bIoVi ykbu rd , d cJ edV | | | 3-2 xj &vkokl h; | fcfYMax bIoVi ykbu rd nks cJ edV | 4- | 1000 l s vf/kd | 4-1 vkokl h; @xj gkmfl x] 0; kol kf; d dk; kly;] l keplf; d l fo/kk, a, oa vU; cgeftysHkou | fcfYMax , uosyi ykbu rd& 1000&2000 oxl ehVj {k=Qy rd ds Hk[k.Mka ea Mcy cJ edV 2000&10]000 rd 4 cJ edV rFkk 10]000 oxl ehVj l s vf/kd ea dkbl i frck ughA | | | 4-2 vks kfxd | vup; Hk[&vkPNknu ds cjkcj |
| 0-1 a | Hk[k.M dk {k=Qy oxl ehVj% | Hk[mi ; lk dh i dfr | cJ edV ds i kfo/kku | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 100 तक | 1.1 आवासीय/अन्यगैर-व्यवसायिक | 1.1 अनुमन्य नहीं | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.2 कार्यालय एवं व्यवसायिक | 1.2 अनुमन्य भू—आच्छादन का 50 प्रतिशत | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 101 से अधिक परन्तु 2000 से कम | 2.1 आवासीय | 2.1 अनुमन्य भू—आच्छादन का 20 प्रतिशत | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2.2 गैर-आवासीय | 2.2 अनुमन्य भू—आच्छादन के बराबर | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 2000 एवं अधिक | 3.1 ग्रुप हाउसिंग/व्यवसायिक एवं अन्य बहुमंजिले भवन | 3.1 4000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल तक के भू-खण्डों में डबल बेसमेन्ट तथा 4000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल के भूखण्डों में तीन बेसमेन्ट | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.2 औद्योगिक | 3.2 अनुमन्य भू—आच्छादन के बराबर, परन्तु 50 प्रतिशत की गणना एफ.ए.आर. में होगी | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.3 सामुदायिक सुविधाएं | 3.3 ‘डबल’ बेसमेन्ट | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| dz l a | Hk[k.M dk {k=Qy oxl ehVj% | Hk[mi ; lk dh i dfr | cJ edV ds i kfo/kku | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1- | 100 rd | 1-1 vkokl h; @vU; xj &0; kol kf; d | vup; ugha | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1-2 dk; kly; , oa 0; kol kf; d | Hk[&vkPNknu dk 50 i fr'kr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2- | 100 l s vf/kd i jUrq 500 rd | 2-1 vkokl h; | Hk[&vkPNknu ds cjkcj | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2-2 xj &vkokl h; | Hk[&vkPNknu ds cjkcj | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3- | 500 l s vf/kd i jUrq 1000 rd | 3-1 vkokl h; | fcfYMax bIoVi ykbu rd , d cJ edV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3-2 xj &vkokl h; | fcfYMax bIoVi ykbu rd nks cJ edV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4- | 1000 l s vf/kd | 4-1 vkokl h; @xj gkmfl x] 0; kol kf; d dk; kly;] l keplf; d l fo/kk, a, oa vU; cgeftysHkou | fcfYMax , uosyi ykbu rd& 1000&2000 oxl ehVj {k=Qy rd ds Hk[k.Mka ea Mcy cJ edV 2000&10]000 rd 4 cJ edV rFkk 10]000 oxl ehVj l s vf/kd ea dkbl i frck ughA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4-2 vks kfxd | vup; Hk[&vkPNknu ds cjkcj | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|---|------------|--|--|--|--|----------|--|--|--|---------------------------------|--|--|--|--|-----------------------|------------|--|--|--|--|----------|--|--|--|--|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|
| 3.10.1 | पार्किंग की प्रकृति के आधार पर प्रत्येक “समान कार स्थल” के लिए सर्कुलेशन ऐरिया सहित निम्न मानक होगा:— (क) खुले क्षेत्र में पार्किंग : 23 वर्ग मीटर (ख) कवर्ड पार्किंग : 28 वर्ग मीटर (ग) बेसमेन्ट में पार्किंग : 32 वर्ग मीटर (घ) मेकेनाइज़ड पार्किंग : 16 वर्गमीटर | | | | पार्किंग की प्रकृति के आधार पर प्रत्येक “समान कार स्थल” के लिए सर्कुलेशन ऐरिया सहित निम्न मानक होगा:— (क) खुले क्षेत्र में पार्किंग : 23 वर्ग मीटर (ख) कवर्ड पार्किंग : 28 वर्ग मीटर (ग) बेसमेन्ट में पार्किंग : 32 वर्ग मीटर (घ) मेकेनाइज़ड पार्किंग : 16 वर्गमीटर ½% nks i fg; k okgu ¼ kbdb I fgr½ % 2-00 oxkhlVj | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.10.3 क्रम.सं.2 | <table border="1"> <tr> <td>(क)नगर केन्द्र/उप— नगर केन्द्र</td><td>मेट्रो नगर</td><td>प्रत्येक 100 व.मी. तल क्षेत्रफल पर 3.0</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>अन्य नगर</td><td>प्रत्येक 100 व.मी. तल क्षेत्रफल पर 2.0</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>(ख)सेक्टर शापिंग बाजार स्ट्रीट,</td><td>प्रत्येक 100 व.मी. तल क्षेत्रफल पर 1.5</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>(ग)कन्वीनिएन्ट शापिंग</td><td>मेट्रो नगर</td><td>प्रत्येक 100 व.मी. तल क्षेत्रफल पर 2.0</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>अन्य नगर</td><td>प्रत्येक 100 व.मी. तल क्षेत्रफल पर 1.0</td><td></td><td></td></tr> </table> | | | | (क)नगर केन्द्र/उप— नगर केन्द्र | मेट्रो नगर | प्रत्येक 100 व.मी. तल क्षेत्रफल पर 3.0 | | | | अन्य नगर | प्रत्येक 100 व.मी. तल क्षेत्रफल पर 2.0 | | | (ख)सेक्टर शापिंग बाजार स्ट्रीट, | प्रत्येक 100 व.मी. तल क्षेत्रफल पर 1.5 | | | | (ग)कन्वीनिएन्ट शापिंग | मेट्रो नगर | प्रत्येक 100 व.मी. तल क्षेत्रफल पर 2.0 | | | | अन्य नगर | प्रत्येक 100 व.मी. तल क्षेत्रफल पर 1.0 | | | <table border="1"> <tr> <td>½% uxj dññ@ I h-ch-Mh-</td><td>e½ks uxj i R; s 100 o-eh- ry {ks=Qy ij 2-0</td></tr> <tr> <td></td><td>vll; uxj i R; s 100 o-eh- ry {ks=Qy ij 1-5</td></tr> <tr> <td>½[kl mi uxj dññ@ I c&l h-ch-Mh-@tkuy 0; kol kf; d dññz</td><td>e½ks uxj i R; s 100 o-eh- ry {ks=Qy ij 1-5</td></tr> <tr> <td></td><td>vll; uxj i R; s 100 o-eh- ry {ks=Qy ij 1-0</td></tr> <tr> <td>½x½ vll; 0; kol kf; d ¼ DVj@ ucj&gM@LFkuh; Lrj ds 'kkwi x I JVj] cktkj LVñV ,oa I fo/kktud npkuñ</td><td>e½ks uxj i R; s 100 o-eh- ry {ks=Qy ij 1-25</td></tr> <tr> <td></td><td>vll; uxj i R; s 100 o-eh- ry {ks=Qy ij 1-0</td></tr> </table> | ½% uxj dññ@ I h-ch-Mh- | e½ks uxj i R; s 100 o-eh- ry {ks=Qy ij 2-0 | | vll; uxj i R; s 100 o-eh- ry {ks=Qy ij 1-5 | ½[kl mi uxj dññ@ I c&l h-ch-Mh-@tkuy 0; kol kf; d dññz | e½ks uxj i R; s 100 o-eh- ry {ks=Qy ij 1-5 | | vll; uxj i R; s 100 o-eh- ry {ks=Qy ij 1-0 | ½x½ vll; 0; kol kf; d ¼ DVj@ ucj&gM@LFkuh; Lrj ds 'kkwi x I JVj] cktkj LVñV ,oa I fo/kktud npkuñ | e½ks uxj i R; s 100 o-eh- ry {ks=Qy ij 1-25 | | vll; uxj i R; s 100 o-eh- ry {ks=Qy ij 1-0 |
| (क)नगर केन्द्र/उप— नगर केन्द्र | मेट्रो नगर | प्रत्येक 100 व.मी. तल क्षेत्रफल पर 3.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | अन्य नगर | प्रत्येक 100 व.मी. तल क्षेत्रफल पर 2.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (ख)सेक्टर शापिंग बाजार स्ट्रीट, | प्रत्येक 100 व.मी. तल क्षेत्रफल पर 1.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (ग)कन्वीनिएन्ट शापिंग | मेट्रो नगर | प्रत्येक 100 व.मी. तल क्षेत्रफल पर 2.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | अन्य नगर | प्रत्येक 100 व.मी. तल क्षेत्रफल पर 1.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ½% uxj dññ@ I h-ch-Mh- | e½ks uxj i R; s 100 o-eh- ry {ks=Qy ij 2-0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | vll; uxj i R; s 100 o-eh- ry {ks=Qy ij 1-5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ½[kl mi uxj dññ@ I c&l h-ch-Mh-@tkuy 0; kol kf; d dññz | e½ks uxj i R; s 100 o-eh- ry {ks=Qy ij 1-5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | vll; uxj i R; s 100 o-eh- ry {ks=Qy ij 1-0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ½x½ vll; 0; kol kf; d ¼ DVj@ ucj&gM@LFkuh; Lrj ds 'kkwi x I JVj] cktkj LVñV ,oa I fo/kktud npkuñ | e½ks uxj i R; s 100 o-eh- ry {ks=Qy ij 1-25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | vll; uxj i R; s 100 o-eh- ry {ks=Qy ij 1-0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.10.7 | पार्किंग हेतु तालाबन्द गैराज एफ.ए.आर. की गणना में सम्मिलित किए जाएंगे। | | | | पार्किंग हेतु तालाबन्द गैराज एफ.ए.आर. की गणना में सम्मिलित किए जाएंगे। Hk[k.Mh; fodkl e½ rkykcln x§kt ; fn Hkou ds I kbM I V&c&d ds i "B Hkkx e½ i Lrkfor@fufel fd, tkrs g½ rks mudh x.kuk , Q,-vkj-e½ l fefy়r ugha dh tk, xhA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.10.9 | युप-हाउसिंग तथा अन्य बहुमंजिले भवनों में पार्किंग हेतु स्टिल्ट फ्लोर का निर्माण भू-आच्छादन के बावर अनुमन्य होगा जिसकी वीम तक अधिकतम ऊँचाई 2.1 मीटर होगी एवं उसकी गणना एफ.ए.आर. में नहीं की जायेगी, परन्तु भवन की ऊँचाई में गणना की जायेगी। स्टिल्ट पर केवल खुली पार्किंग अनुमन्य होगी तथा उसे कवर पार्किंग बनाने (साइड में कवर करने) पर उसकी गणना एफ.ए.आर. में की जायेगी। | | | | xij gkmfl x rFkk vU; cgf½tys Hkouks e½ i kfdlk grq fLVYV dk fuekZk vuell; gksxk ftI dh x.kuk , Q,-vkj- e½ ugha dh tk, xhA i jUrq Hkou dh ÅpkbZ e½ x.kuk dh tk, xhA fLVYV ij doy [kgyh i kfdlk vuell; gksxk rFkk ml s doMZ i kfdlk cukus ¼ kbM e½ doj djuz i j fLVYV QykJ dh x.kuk , Q,-vkj- e½ dh tk, xhA i kfdlk i½ kstu grq i kFM; e dk fuekZk fcfYMx , uosy i ykbu rd fuEu i frcl/ksa ds v/khu vuell; gksxk& (i) Hk[k.M dk U; ure-{ks=Qy 10]000 oxZ ehVj gksxkA (ii) I M dI dh U; ure-pkMkbZ 24 ehVj gksxkA (iii) I V&c&d ds vUrxi i kFM; e i kfdlk ds mi ; kkskFk j½i dk fuekZk vuell; ugha gksxkA (iv) i kFM; e ds fuekZk ds QyLo: i i kdZ , oa [kys {ks=@xhu , fJ; k dk {ks=Qy de ugha gkuk pkfg, A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|---------------|---|--|
| | | (v) Ok; j QVh : Ecfl/kr vi qkvvki dk fuf'pr gkuk pkfg, A fVli.kh %&ikfM; e i kfdk es vuell; Hk&vkPNknu dh hekUrxt Mkoj jL V: e] LVkj fuVjh clykd , or vll; e: i ok, a vuell; gkxkA |
| 3.10.10(i) | <p>स्टिल्ट फ्लोर के साथ अनुवर्ती तलों पर पार्किंग निम्न प्राविधानों के अधीन अनुमन्य होगी:-</p> <p>(क) प्रत्येक तल की फर्श से सीलिंग तक अधिकतम ऊँचाई 2.10 मी. होगी।</p> <p>(ख) सेट-बैक क्षेत्र में रैम्प का निर्माण अनुमन्य नहीं होगा।</p> <p>(ग) पार्किंग तलों को चारों तरफ मात्र एक मीटर ऊँची जाली से ढका जा सकेगा तथा दीवारों से बन्द नहीं किया जाएगा।</p> | <p>स्टिल्ट फ्लोर के साथ अनुवर्ती तलों पर पार्किंग निम्न प्राविधानों के अधीन अनुमन्य होगी:-</p> <p>(क) प्रत्येक तल की फर्श से सीलिंग तक अधिकतम ऊँचाई 2.10 मी. होगी।</p> <p>(ख) सेट-बैक क्षेत्र में रैम्प का निर्माण अनुमन्य नहीं होगा।</p> <p>(ग) पार्किंग तलों को चारों तरफ मात्र एक मीटर ऊँची जाली से ढका जा सकेगा तथा दीवारों से बन्द नहीं किया जाएगा।</p> <p>(घ) भवन के टैरेस पर पार्किंग इस शर्त के साथ अनुमन्य होगी कि टैरेस पार्किंग को चारों तरफ मात्र एक मीटर ऊँची जाली से ढका जा सकेगा तथा दीवारों से बन्द नहीं किया जाएगा न ही पार्किंग को कवर करने के लिए छत/स्थायी संरचना बनायी जाएगी।</p> |
| 3.10.10(ii) | एक एकड़ एवं उससे अधिक क्षेत्रफल की योजनाओं में 5 प्रतिशत अतिरिक्त भू-आच्छादन के अन्तर्गत मल्टी-लेवल पार्किंग ब्लाक बनाया जा सकता है, जिसकी गणना एफ.ए.आर. में नहीं की जाएगी, परन्तु भूमि के ऊपर यदि बहुमंजिला पार्किंग ब्लाक पृथक से बनाया जाता है, तो मूल भवन एवं पार्किंग ब्लाक के मध्य की दूरी उच्चतम ब्लाक की ऊँचाई के एक तिहाई के बराबर अथवा 6.0 मीटर, जो भी अधिक हो, होगी। | एक एकड़ एवं उससे अधिक क्षेत्रफल की योजनाओं में 5 प्रतिशत अतिरिक्त भू-आच्छादन के अन्तर्गत मल्टी-लेवल पार्किंग ब्लाक बनाया जा सकता है, जिसकी गणना एफ.ए.आर. में नहीं की जाएगी, परन्तु भूमि के ऊपर यदि बहुमंजिला पार्किंग ब्लाक पृथक से बनाया जाता है, तो मूल भवन एवं पार्किंग ब्लाक के मध्य की दूरी उच्चतम ब्लाक की ऊँचाई के आधार पर उस हेतु वांछित सेटबैक अथवा 6.0 मीटर, जो भी अधिक हो, होगी। |
| 3.10.10 (iii) | मैकेनाइज्ड मल्टी-लेवल पार्किंग व्यवस्था होने की दशा में एक पार्किंग स्थल का न्यूनतम क्षेत्रफल 16 वर्गमीटर होगा। | e'dukbTM eYVh&yoy i kfdk dh Åpkbl rFkk {k=Qy okLrfod fMt kbu ds vk/kkj ij gkxk] ft s Lohdfr grqj i Lrr ekufp= ds kfk gh ayXu djuk gkxkA |
| 3.11.1.1 | (I) घुमावदार जीनों का प्रयोग लो-आक्युपेन्सी लोड तक सीमित होगा और 10 मीटर तक ऊँचे भवनों में किया जाएगा जब तक सुरक्षित निकलने हेतु प्लेटफार्म तथा बालकनी और खुली छत (टेरेस) से सम्बद्ध न हो। | घुमावदार जीनों का प्रयोग लो-आक्युपेन्सी लोड तक सीमित होगा और 12.5 ehVj तक ऊँचे भवनों में किया जाएगा जब तक सुरक्षित निकलने हेतु प्लेटफार्म तथा बालकनी और खुली छत (टेरेस) से सम्बद्ध न हो। |
| 3.11.9 | — | सरकारी संस्थानों/अर्द्धसरकारी संस्थानों/सरकारी स्वैच्छिक संस्थान/सहायता प्राप्त संस्थान/प्रतिष्ठान तथा 5000 वर्गमीटर एवं अधिक क्षेत्रफल के कार्यालय, हाउसिंग एवं कामर्शियल काम्पलेक्स व अन्य भवनों में रुफटाप सोलर फोटोवोल्टाईक पावर प्लाण्ट की स्थापना भवन के कुर्सी क्षेत्रफल के न्यूनतम 25 प्रतिशत रुफटाप एरिया पर अनिवार्य रूप से की जायेगी।" |

| 4.1 (V) | अधिकतम भू-आच्छादन 40 प्रतिशत एवं तल क्षेत्रानुपात 1.2 अनुमन्य होगा, परन्तु 24.0 मीटर एवं अधिक चौड़ी सड़क पर स्थित भूखण्डों पर तल क्षेत्रानुपात 1.5 अनुमन्य होगा। | बाजार स्ट्रीट भूखण्डों में प्रस्तर-3.5.1 के अन्तर्गत "अन्य व्यवसायिक" हेतु निर्धारित भू-आच्छादन एवं एफ.ए.आर. अनुमन्य होगा। | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|---|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------|--|--|--|--|------------------|----|-----|-----|-----|-------------------|----|-----|-----|-----|-----------------------------------|--|--|--|--|------------------|----|-----|-----|-----|-------------------|----|-----|-----|-----|---|------------------------------|----------------------|-------------|------------------|----------------------|-----------------------------|--------------|----|-----|-----|-----|-------------------------------|--------------|----|-----|-----|-----|
| 4.1 (VII) | व्यवसायिक उपयोग भूतल एवं प्रथम तल पर ही अनुमन्य होगा, जबकि अनुवर्ती तलों पर आवासीय उपयोग रहेगा। | व्यवसायिक उपयोग भूतल एवं प्रथम तल पर ही अनुमन्य होगा, जबकि अनुवर्ती तलों पर आवासीय उपयोग रहेगा। भूखण्ड स्वामी के अनुरोध पर सभी तलों पर आवासीय उपयोग अनुमन्य किया जा सकेगा। | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 (I) भूखण्ड का क्षेत्रफल | होटल की अनुज्ञा हेतु भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल 1000 वर्ग मीटर होगा जो आवासीय क्षेत्र में न्यूनतम 18 मीटर चौड़े विद्यमान मार्ग तथा गैर-आवासीय क्षेत्रों में न्यूनतम 24 मीटर चौड़े विद्यमान मार्ग पर स्थित होगा। | भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल 1000 वर्ग मीटर होगा जो आवासीय उपयोग में निर्मित/विकसित क्षेत्र में न्यूनतम 12 मीटर चौड़े, नए/ अविकसित क्षेत्र में न्यूनतम 18 मीटर चौड़े विद्यमान मार्ग पर तथा गैर-आवासीय भू-उपयोग में निर्मित/विकसित क्षेत्र में न्यूनतम 18 मीटर तथा नए/अविकसित क्षेत्र में न्यूनतम 24 मीटर चौड़े विद्यमान मार्ग पर स्थित होगा। | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.3 भूखण्ड की मापें एवं मानक | <table border="1"> <thead> <tr> <th>प्रयोजन/ भूखण्ड की मापें</th> <th>भू-आच्छादन (प्रतिशत)</th> <th>एफ.ए.आर.</th> <th>फर्ट सेट-बैक(मी.)</th> <th>भवन की ऊँचाई (मीटर)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(अ) पेट्रोल पम्प/ फिलिंग स्टेशन</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(I) 18मी. x15मी.</td> <td>10</td> <td>0.1</td> <td>3.0</td> <td>6.0</td> </tr> <tr> <td>(II) 30मी. x17मी.</td> <td>10</td> <td>0.1</td> <td>3.0</td> <td>6.0</td> </tr> <tr> <td>ब) फिलिंग स्टेशन कम-सर्विस स्टेशन</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(I) 36मी. x30मी.</td> <td>20</td> <td>0.2</td> <td>6.0</td> <td>6.0</td> </tr> <tr> <td>(II) 45मी. x36मी.</td> <td>20</td> <td>0.2</td> <td>6.0</td> <td>6.0</td> </tr> </tbody> </table> <p>टिप्पणी: (I) कैनौपी का निर्माण सेट-बैक लाईन के भीतर अस्थाई संरचना के रूप में अनुमन्य होगा, जिसकी भूतल से न्यूनतम ऊँचाई 6 मीटर होगी।</p> <p>(II) मैजेनाईन फ्लोर का निर्माण करने पर उसकी गणना एफ.ए.आर. में होगी।</p> <p>(III) नगरीय अथवा ग्रामीण क्षेत्र में कहीं पर भी स्थित भूखण्ड की माप 45 मी. x 36 मी. से अधिक होने पर अनुमन्य भू-आच्छादन व एफ.ए.आर. 45 मी. x 36 मी. के भूखण्ड की सीमा तक ही अनुमन्य होगा।</p> | प्रयोजन/ भूखण्ड की मापें | भू-आच्छादन (प्रतिशत) | एफ.ए.आर. | फर्ट सेट-बैक(मी.) | भवन की ऊँचाई (मीटर) | (अ) पेट्रोल पम्प/ फिलिंग स्टेशन | | | | | (I) 18मी. x15मी. | 10 | 0.1 | 3.0 | 6.0 | (II) 30मी. x17मी. | 10 | 0.1 | 3.0 | 6.0 | ब) फिलिंग स्टेशन कम-सर्विस स्टेशन | | | | | (I) 36मी. x30मी. | 20 | 0.2 | 6.0 | 6.0 | (II) 45मी. x36मी. | 20 | 0.2 | 6.0 | 6.0 | <table border="1"> <tr> <td>i ; kst u@ Hkif k.M dh eki ;</td> <td>Hk&vkPNknu ½i fr'kr½</td> <td>, Q, - vkj-</td> <td>QIV I V& cđv&h-½</td> <td>Hkou dh Åpkbl ½elVj½</td> </tr> <tr> <td>½V½ i Vky i Ei @fQfyx LV½ku</td> <td>16eh- x14eh-</td> <td>10</td> <td>0-1</td> <td>3-0</td> <td>6-0</td> </tr> <tr> <td>c½ fQfyx LV½ku de&l fol LV½ku</td> <td>25eh- x25eh-</td> <td>20</td> <td>0-2</td> <td>6-0</td> <td>6-0</td> </tr> </table> | i ; kst u@ Hkif k.M dh eki ; | Hk&vkPNknu ½i fr'kr½ | , Q, - vkj- | QIV I V& cđv&h-½ | Hkou dh Åpkbl ½elVj½ | ½V½ i Vky i Ei @fQfyx LV½ku | 16eh- x14eh- | 10 | 0-1 | 3-0 | 6-0 | c½ fQfyx LV½ku de&l fol LV½ku | 25eh- x25eh- | 20 | 0-2 | 6-0 | 6-0 |
| प्रयोजन/ भूखण्ड की मापें | भू-आच्छादन (प्रतिशत) | एफ.ए.आर. | फर्ट सेट-बैक(मी.) | भवन की ऊँचाई (मीटर) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (अ) पेट्रोल पम्प/ फिलिंग स्टेशन | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (I) 18मी. x15मी. | 10 | 0.1 | 3.0 | 6.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (II) 30मी. x17मी. | 10 | 0.1 | 3.0 | 6.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ब) फिलिंग स्टेशन कम-सर्विस स्टेशन | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (I) 36मी. x30मी. | 20 | 0.2 | 6.0 | 6.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (II) 45मी. x36मी. | 20 | 0.2 | 6.0 | 6.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| i ; kst u@ Hkif k.M dh eki ; | Hk&vkPNknu ½i fr'kr½ | , Q, - vkj- | QIV I V& cđv&h-½ | Hkou dh Åpkbl ½elVj½ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ½V½ i Vky i Ei @fQfyx LV½ku | 16eh- x14eh- | 10 | 0-1 | 3-0 | 6-0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| c½ fQfyx LV½ku de&l fol LV½ku | 25eh- x25eh- | 20 | 0-2 | 6-0 | 6-0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.4 अन्य | पेट्रोल पम्प/ फिलिंग स्टेशन तथा फिलिंग स्टेशन-कम-सर्विस स्टेशन | पेट्रोल पम्प/ फिलिंग स्टेशन तथा फिलिंग स्टेशन-कम-सर्विस स्टेशन 'निर्मित' एवं 'विकसित क्षेत्र' में | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|----------------------------------|---|--|
| अपेक्षाएं | न्यूनतम 24 मीटर चौड़े विद्यमान मार्ग पर स्थित होगा। | न्यूनतम चौड़ाई 12 मीटर चौड़े विद्यमान मार्ग तथा नए/अविकसित क्षेत्र में न्यूनतम 24 मीटर चौड़े विद्यमान मार्ग पर स्थित होगा। |
| 9.3 | क्षेत्रफल – भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल 1000 वर्गमीटर होगा। | भूखण्ड की माप – एल.पी.जी. गैस गोदाम हेतु भूखण्ड की माप 25 मी. x 30 मी. से 31 मी. x 36 मी. तक होगी। |
| 12.1 अनुमत्यता | (I) सेलुलर/मोबाइल/बेसिक टेलीफोन सर्विस के प्रयोजनार्थ टावर के निर्माण की अनुज्ञा सामान्यतः पार्क एवं खुले स्थल, ग्रीन वर्ज, कृषि भू-उपयोग एवं समरूप प्रकृति के भू-उपयोगों के अन्तर्गत ही प्रदान की जाएगी, जबकि अन्य भू-उपयोगों यथा आवासीय, व्यवसायिक, कार्यालय आदि में प्राधिकरण बोर्ड द्वारा विशेष परिस्थितियों में देय होगी, परन्तु आवासीय भवनों में टावर निर्माण हेतु आवेदन पत्र के साथ रेजीडेन्ट वेलफेर एसोसियेशन अनापत्ति/सहमति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। "प्लाटेड डेवलपमेंट के अंतर्गत टावर की स्थापना के लिए आर.डब्ल्यू.ए. से अनापत्ति प्राप्त करना आवश्यक नहीं होगा, परन्तु ग्रुप हाउसिंग एवं बहुमंजिले भवनों हेतु आर.डब्ल्यू.ए. की अनापत्ति/सहमति अनिवार्य होगी। | (I) सेलुलर/मोबाइल/बेसिक टेलीफोन सर्विस के प्रयोजनार्थ टावर के निर्माण की अनुज्ञा सामान्यतः पार्क एवं खुले स्थल, ग्रीन वर्ज, कृषि भू-उपयोग एवं समरूप प्रकृति के भू-उपयोगों के अन्तर्गत ही प्रदान की जाएगी, जबकि अन्य भू-उपयोगों यथा आवासीय, व्यवसायिक, कार्यालय आदि में प्राधिकरण बोर्ड द्वारा विशेष अनुमति से देय होगी। |
| 12.4 | – | 4जी नेटवर्क के लिए एच.डी.डी. विधि से आप्टिकल फाइबर केबिल विछाने, ग्राउण्ड बेस्ड मास्ट (जी.बी.एम.) स्थापित करने तथा ओवर हेड वायर के लिए पोल लगाने की अनुमति शासनादेश संख्या-1485/नौ-9-2012-161ज/12, दिनांक 15.10.2012 के प्रस्तर-8(9) एवं 8(10) में निर्धारित जमानती राशि का भुगतान किए जाने एवं उक्त शासनादेश दिनांक 15.10.2012 में स्थापित व्यवस्था, प्रतिबन्धों/शर्तों के अनुपालन की स्थिति में प्रदान की जायेगी। |
| 13.3 निर्माण अनुज्ञा हेतु शर्तें | (ख) निर्माण का सुपरविजन भी अहं वास्तुविद की देख-रेख तथा उनके उत्तरदायित्व के अधीन किया जाएगा ताकि सुरक्षा संबंधी निम्न व्यवस्थाओं का अनुपालन सुनिश्चित हो सके :– | निर्माण का सुपरविजन भी अहं वास्तुविद/अभियंता तथा विकासकर्ता की देख-रेख तथा उनके उत्तरदायित्व के अधीन किया जाएगा ताकि सुरक्षा संबंधी निम्न व्यवस्थाओं का अनुपालन सुनिश्चित हो सके :– |
| 14.7 भू-आच्छादन एवं एफ.ए.आर. | सेन्ट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट (सी.बी.डी.), डिस्ट्रिक्ट शापिंग सेंटर, सेक्टर शापिंग सेंटर, बाजार स्ट्रीट अथवा महायोजना में चिह्नित किसी अन्य स्थल पर अधिकतम भू-आच्छादन एवं एफ.ए.आर. भवन उपविधियों के अनुसार अनुमन्य होगा। गैर-वाणिज्यिक क्षेत्र में मल्टीप्लेक्स हेतु अधिकतम भू-आच्छादन 40 प्रतिशत एवं एफ.ए.आर. 1.20 अनुमन्य होगा। इसके अतिरिक्त भवन उपविधियों के अनुसार निर्धारित सीमा तक क्य योग्य एफ.ए.आर. भी अनुमन्य होगा। अन्य भू-उपयोगों में यथास्थिति महायोजना/भवन उपविधियों के अनुसार भू-आच्छादन एवं एफ.ए.आर अनुमन्य होगा। | नगर केन्द्र/सेन्ट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट (सी.बी.डी.), उपनगर केन्द्र (सब-सी.बी.डी.)/जोनल व्यवसायिक केन्द्र, अन्य व्यवसायिक अथवा महायोजना में चिह्नित किसी अन्य स्थल पर अधिकतम भू-आच्छादन एवं एफ.ए.आर. भवन उपविधियों के अनुसार अनुमन्य होगा। गैर-वाणिज्यिक क्षेत्र में मल्टीप्लेक्स हेतु अधिकतम भू-आच्छादन 50 प्रतिशत एवं एफ.ए.आर. 1.50 अनुमन्य होगा। इसके अतिरिक्त भवन उपविधियों के अनुसार निर्धारित सीमा तक क्य योग्य एफ.ए.आर. भी अनुमन्य होगा। अन्य भू-उपयोगों में यथास्थिति महायोजना/भवन उपविधियों के अनुसार भू-आच्छादन एवं एफ.ए.आर अनुमन्य होगा। |

| | | |
|---|--|--|
| 15.2.1 भूखण्ड का क्षेत्रफल | भूखण्ड का अधिकतम क्षेत्रफल 300 वर्गमीटर एवं न्यूनतम फॉर्टेज 12 मीटर होगा, जो न्यूनतम 18 मीटर चौड़ी विद्यमान सड़क पर स्थित होगा। उक्त सड़क कम से कम एक ओर 18 मीटर से अधिक चौड़ी सड़क पर मिलनी चाहिए। | भूखण्ड का अधिकतम क्षेत्रफल 300 वर्गमीटर एवं न्यूनतम फॉर्टेज 12 मीटर होगा, जो न्यूनतम 12 मीटर चौड़ी विद्यमान सड़क पर स्थित होगा। उक्त सड़क कम से कम एक ओर 12 मीटर से अधिक चौड़ी सड़क पर मिलनी चाहिए। |
| 15.2.3 भवन की ऊँचाई | 24 मीटर चौड़ी सड़क तक भवन की अधिकतम ऊँचाई 12.5 मीटर तथा इससे अधिक चौड़ी सड़क पर अधिकतम 15 मीटर होगी। | 18 मीटर चौड़ी सड़क तक भवन की अधिकतम ऊँचाई 12.5 मीटर तथा इससे अधिक चौड़ी सड़क पर अधिकतम 15 मीटर होगी। |
| 21.1 अनुमन्यता | शापिंग माल्स का निर्माण वाणिज्यिक (सी.बी.डी., सब-सी.बी.डी., सेक्टर शापिंग सेन्टर), लघु एवं सेवा उद्योग (प्रदूषण मुक्त व संकटरहित) भू-उपयोगों में अनुमन्य होगा। परन्तु शापिंग माल के निर्माण की अनुमति देने से पूर्व ट्रैफिक लोड, व्यक्तियों के आवागमन एवं निकास, पार्किंग व्यवस्था, जलापूर्ति, ड्रेनेज, सीवरेज, विद्युत-आपूर्ति, अग्निशमन व्यवस्था तथा अन्य सुरक्षा व्यवस्थायें सुनिश्चित की जाएगी। | शापिंग माल का निर्माण व्यवसायिक (सी.बी.डी., सब-सी.बी.डी., अन्य व्यवसायिक अथवा महायोजना में चिन्हित व्यवसायिक स्थल), तथा लघु एवं सेवा उद्योग (प्रदूषणमुक्त व संकटरहित) भू-उपयोगों में अनुमन्य होगा। परन्तु शापिंग माल के निर्माण की अनुमति देने से पूर्व ट्रैफिक लोड, व्यक्तियों के आवागमन एवं निकास, पार्किंग व्यवस्था, जलापूर्ति, ड्रेनेज, सीवरेज, विद्युत-आपूर्ति, अग्निशमन व्यवस्था तथा अन्य सुरक्षा व्यवस्थायें नियमानुसार सुनिश्चित की जाएगी। |
| 23.3 अन्य अपेक्षाएं | (I) होटल एवं कार्यालय/संस्थागत भवनों में कुल अनुमन्य एफ.ए.आर. का अधिकतम 20 प्रतिशत सर्विस अपार्टमेन्ट्स के लिए प्रयोग किया जा सकता है। (II) व्यवसायिक भू-उपयोग के अन्तर्गत पृथक रूप से सर्विस अपार्टमेन्ट्स बनाए जा सकते हैं, जिनके लिए व्यवसायिक भू-उपयोग में निर्धारित भू-आच्छादन एवं एफ.ए.आर. अनुमन्य होगा। | (I) होटल एवं कार्यालय/संस्थागत भवनों तथा व्यवसायिक भू-उपयोग में कुल अनुमन्य एफ.ए.आर. का अधिकतम 20 प्रतिशत सर्विस अपार्टमेन्ट्स के लिए प्रयोग किया जा सकता है। (II) व्यवसायिक भू-उपयोग के अन्तर्गत कुल अनुमन्य एफ.ए.आर. की 20 प्रतिशत की अधिकतम सीमान्तर्गत पृथक रूप से सर्विस अपार्टमेन्ट्स बनाए जा सकते हैं। |
| vugXud&2 iLrj&5 पूर्णता प्रमाण पत्र अस्वीकार करना | जाँच/परीक्षण में स्वीकृत अथवा शमनित मानचित्र विकास कार्यों के अनुरूप विकास/निर्माण न पाए जाने की स्थित में उपाध्यक्ष अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पूर्णता प्रमाण पत्र की स्वीकृति को अस्वीकार कर दिया जाएगा तथा उसके कारणों सहित आवेदक को आवेदन करने के 60 दिनों के अन्दर सूचित कर दिया जायेगा, mDr vof/k e i kf/kdj.k }kjk fuLrkj.k u fd, tkus dhl n'kk e i vkonf }kjk i kf/kdj.k dks i wkrk i ek.k i = tkjh djus ds fy, 15 fnu dk ,d ukfVI fn; k tk; xkA bl vof/k ds i 'pkf i kf/kdj.k }kjk i wkrk i ek.k i = fuLrkfjr u fd, tkus dhl n'kk e i kf/kdj.k }kjk i wkrk i ek.k i = Lohdr fd; k Mhem , i M% ekuk tk, xkA | जाँच/परीक्षण में स्वीकृत अथवा शमनित मानचित्र विकास कार्यों के अनुरूप विकास/निर्माण न पाए जाने की स्थित में उपाध्यक्ष अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पूर्णता प्रमाण पत्र की स्वीकृति को अस्वीकार कर दिया जाएगा तथा उसके कारणों सहित आवेदक को आवेदन करने के 60 दिनों के अन्दर सूचित कर दिया जायेगा, mDr vof/k e i kf/kdj.k }kjk fuLrkj.k u fd, tkus dhl n'kk e i vkonf }kjk i kf/kdj.k dks i wkrk i ek.k i = tkjh djus ds fy, 15 fnu dk ,d ukfVI fn; k tk; xkA bl vof/k ds i 'pkf i kf/kdj.k }kjk i wkrk i ek.k i = fuLrkfjr u fd, tkus dhl n'kk e i kf/kdj.k }kjk i wkrk i ek.k i = Lohdr fd; k Mhem , i M% ekuk tk, xkA |

v/; k; &26

vkokl h; Hk[k. Mka e s cg&vkokl h; bdkbz ka ds fuekZ k graq vi \$kk, a

| | | |
|------|--|---|
| 26.1 | I keku; vi \$kk, a | (i) महायोजना में प्रस्तावित आवासीय क्षेत्रों में आवासीय भूखण्डों पर इस उपविधि के प्राविधानों के अधीन बहु-आवासीय इकाईयों की अनुमति देय होगी। |
| | | (ii) शासकीय अभिकरणों द्वारा विकसित/अनुमोदित योजनाओं/ले-आउट प्लान्स के अन्तर्गत बहु-आवासीय इकाईयों की अनुमति ले-आउट प्लान के प्राविधानों के अनुरूप दी जाएगी। विकास प्राधिकरण बोर्ड द्वारा ऐसी योजनाओं को चिन्हांकित किया जाएगा जहाँ बड़े हुए घनत्व के सापेक्ष अवस्थापना सुविधाओं का संवर्धन/सृदृढ़ीकरण सम्भव है, अथवा जहाँ विकास कार्यों का स्तर घनत्व में प्रस्तावित वृद्धि के सापेक्ष उपलब्ध है। |
| | | (iii) आवासीय भूखण्डों पर बहु-आवासीय इकाईयों की अनुमति इस प्रतिबन्ध के अधीन देय होगी कि इसके फलस्वरूप बढ़ने वाली जनसंख्या घनत्व के सापेक्ष अवस्थापना सुविधाओं का विस्तार/सुदृढ़ीकरण सुनिश्चित किया जाएगा। |
| 26.2 | Hk[k. M dk {ks=Qy | भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल 150 वर्ग मीटर तथा अधिकतम क्षेत्रफल 2000 वर्ग मीटर से कम होगा। |
| 26.3 | i g[ekx[| प्रस्तावित भूखण्ड न्यूनतम 9 मीटर चौड़ी विद्यमान सड़क पर स्थित होगा। |
| 26.4 | vkokl h; bdkbz dk U; ure ry {ks=Qy , oa bdkbz ka dh I q : k | आवासीय इकाई का न्यूनतम तल क्षेत्रफल 65 वर्ग मीटर होगा तथा आवासीय भूखण्डीय विकास में अधिकतम 20 इकाईयाँ अनुमन्य होंगी। 300 वर्ग मीटर तक के भूखण्ड पर प्रत्येक तल पर एक आवासीय इकाई अनुमन्य होगी जबकि 300 वर्ग मीटर से बड़े भूखण्डों में 300 वर्ग मीटर के पश्चात प्रत्येक 100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर एक आवासीय इकाई अनुमन्य होगी। |
| 26.5 | Hkou dh vf/kdre Äpkbz | भवन की अधिकतम ऊँचाई स्टिल्ट फ्लोर सहित 15 मीटर होगी, जिसकी गणना प्लिन्थ लेवल से की जाएगी। भवनों में स्टिल्ट तथा चार मंजिलों का निर्माण अनुमन्य होगा। |

| 26.6 | I S&C&D] Hk&vkPNknu] , Q-, -Vkj- | (I) | <p>भवनों में सैट-बैक निम्नवत् होंगे:-</p> <table border="1" data-bbox="686 269 1404 649"> <thead> <tr> <th data-bbox="686 269 1404 350">भूखण्ड का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)</th><th colspan="4" data-bbox="1404 269 1478 350">सैट-बैक (मीटर)</th></tr> <tr> <th data-bbox="686 350 1404 399"></th><th data-bbox="1404 350 1478 399">अग्र भाग</th><th data-bbox="1478 350 1552 399">पृष्ठ भाग</th><th data-bbox="1552 350 1626 399">पार्श्व-1</th><th data-bbox="1626 350 1700 399">पार्श्व-2</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="686 399 1404 432">(क) रो- हाउसिंग</td><td data-bbox="1404 399 1478 432"></td><td data-bbox="1478 399 1552 432"></td><td data-bbox="1552 399 1626 432"></td><td data-bbox="1626 399 1700 432"></td></tr> <tr> <td data-bbox="686 432 1404 465">150 से अधिक 300 तक</td><td data-bbox="1404 432 1478 465">3.0</td><td data-bbox="1478 432 1552 465">3.0</td><td data-bbox="1552 432 1626 465">-</td><td data-bbox="1626 432 1700 465">-</td></tr> <tr> <td data-bbox="686 465 1404 497">(ख) सेमी-डिटेच्ड</td><td data-bbox="1404 465 1478 497"></td><td data-bbox="1478 465 1552 497"></td><td data-bbox="1552 465 1626 497"></td><td data-bbox="1626 465 1700 497"></td></tr> <tr> <td data-bbox="686 497 1404 530">300 से अधिक 500 तक</td><td data-bbox="1404 497 1478 530">4.5</td><td data-bbox="1478 497 1552 530">4.5</td><td data-bbox="1552 497 1626 530">3.0</td><td data-bbox="1626 497 1700 530">-</td></tr> <tr> <td data-bbox="686 530 1404 563">(ग) डिटेच्ड</td><td data-bbox="1404 530 1478 563"></td><td data-bbox="1478 530 1552 563"></td><td data-bbox="1552 530 1626 563"></td><td data-bbox="1626 530 1700 563"></td></tr> <tr> <td data-bbox="686 563 1404 595">500 से अधिक 1000 तक</td><td data-bbox="1404 563 1478 595">6.0</td><td data-bbox="1478 563 1552 595">6.0</td><td data-bbox="1552 563 1626 595">3.0</td><td data-bbox="1626 563 1700 595">1.5</td></tr> <tr> <td data-bbox="686 595 1404 628">1000 से अधिक 1500 तक</td><td data-bbox="1404 595 1478 628">9.0</td><td data-bbox="1478 595 1552 628">6.0</td><td data-bbox="1552 595 1626 628">4.5</td><td data-bbox="1626 595 1700 628">3.0</td></tr> <tr> <td data-bbox="686 628 1404 660">1500 से अधिक 2000 तक</td><td data-bbox="1404 628 1478 660">9.0</td><td data-bbox="1478 628 1552 660">6.0</td><td data-bbox="1552 628 1626 660">6.0</td><td data-bbox="1626 628 1700 660">6.0</td></tr> </tbody> </table> | भूखण्ड का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर) | सैट-बैक (मीटर) | | | | | अग्र भाग | पृष्ठ भाग | पार्श्व-1 | पार्श्व-2 | (क) रो- हाउसिंग | | | | | 150 से अधिक 300 तक | 3.0 | 3.0 | - | - | (ख) सेमी-डिटेच्ड | | | | | 300 से अधिक 500 तक | 4.5 | 4.5 | 3.0 | - | (ग) डिटेच्ड | | | | | 500 से अधिक 1000 तक | 6.0 | 6.0 | 3.0 | 1.5 | 1000 से अधिक 1500 तक | 9.0 | 6.0 | 4.5 | 3.0 | 1500 से अधिक 2000 तक | 9.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
|------------------------------------|---|-----------|--|------------------------------------|---|-----------------------------|--------------------|------------------------------|------|----------------------------------|-----------|-----------|---------------------|-----------------|------|--|--|--|--------------------|-----|-----|---|---|------------------|--|--|--|--|--------------------|-----|-----|-----|---|-------------|--|--|--|--|---------------------|-----|-----|-----|-----|----------------------|-----|-----|-----|-----|----------------------|-----|-----|-----|-----|
| भूखण्ड का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर) | सैट-बैक (मीटर) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | अग्र भाग | पृष्ठ भाग | पार्श्व-1 | पार्श्व-2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (क) रो- हाउसिंग | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 150 से अधिक 300 तक | 3.0 | 3.0 | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (ख) सेमी-डिटेच्ड | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 300 से अधिक 500 तक | 4.5 | 4.5 | 3.0 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (ग) डिटेच्ड | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 500 से अधिक 1000 तक | 6.0 | 6.0 | 3.0 | 1.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1000 से अधिक 1500 तक | 9.0 | 6.0 | 4.5 | 3.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1500 से अधिक 2000 तक | 9.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (II) | <p>भवनों में भू-आच्छादन एवं एफ.ए.आर. निम्नवत् होंगे:-</p> <table border="1" data-bbox="686 693 1341 922"> <thead> <tr> <th data-bbox="686 693 950 775">भूखण्ड का क्षेत्रफल</th><th data-bbox="950 693 1235 775">भू-आच्छादन (प्रतिशत)</th><th data-bbox="1235 693 1341 775">एफ.ए.आर.</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="686 775 950 807">150 से अधिक 300 तक</td><td data-bbox="950 775 1235 807">65</td><td data-bbox="1235 775 1341 807">1.75</td></tr> <tr> <td data-bbox="686 807 950 840">300 से अधिक 500 तक</td><td data-bbox="950 807 1235 840">50</td><td data-bbox="1235 807 1341 840">1.50</td></tr> <tr> <td data-bbox="686 840 950 922">500 से अधिक 2000 तक</td><td data-bbox="950 840 1235 922">45</td><td data-bbox="1235 840 1341 922">1.25</td></tr> </tbody> </table> | भूखण्ड का क्षेत्रफल | भू-आच्छादन (प्रतिशत) | एफ.ए.आर. | 150 से अधिक 300 तक | 65 | 1.75 | 300 से अधिक 500 तक | 50 | 1.50 | 500 से अधिक 2000 तक | 45 | 1.25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| भूखण्ड का क्षेत्रफल | भू-आच्छादन (प्रतिशत) | एफ.ए.आर. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 150 से अधिक 300 तक | 65 | 1.75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 300 से अधिक 500 तक | 50 | 1.50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 500 से अधिक 2000 तक | 45 | 1.25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26.7 | i kfdlk 0; oLFkk | (i) | <p>आवासीय इकाई के निर्मित क्षेत्रफल के अनुसार निम्नवत् पार्किंग का प्राविधान करना होगा:-</p> <table border="1" data-bbox="728 979 1742 1240"> <tbody> <tr> <td data-bbox="728 979 1214 1052">vkokl h; bdkbl dk fufel {ksQy</td><td data-bbox="1214 979 1742 1052">i R; d vkokl h; bdkbl gsjq I eku dkj LFky dh I a; k</td></tr> <tr> <td data-bbox="728 1052 1214 1101">50-100 वर्गमी. तल क्षेत्रफल</td><td data-bbox="1214 1052 1742 1101">01</td></tr> <tr> <td data-bbox="728 1101 1214 1150">100-150 वर्गमी. तल क्षेत्रफल</td><td data-bbox="1214 1101 1742 1150">1.25</td></tr> <tr> <td data-bbox="728 1150 1214 1240">151 वर्गमी. से अधिक तल क्षेत्रफल</td><td data-bbox="1214 1150 1742 1240">1.50</td></tr> </tbody> </table> | vkokl h; bdkbl dk fufel {ksQy | i R; d vkokl h; bdkbl gsjq I eku dkj LFky dh I a; k | 50-100 वर्गमी. तल क्षेत्रफल | 01 | 100-150 वर्गमी. तल क्षेत्रफल | 1.25 | 151 वर्गमी. से अधिक तल क्षेत्रफल | 1.50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| vkokl h; bdkbl dk fufel {ksQy | i R; d vkokl h; bdkbl gsjq I eku dkj LFky dh I a; k | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50-100 वर्गमी. तल क्षेत्रफल | 01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100-150 वर्गमी. तल क्षेत्रफल | 1.25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 151 वर्गमी. से अधिक तल क्षेत्रफल | 1.50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | |
|------|-----------------|--------|--|
| | | (ii) | 'समान कार स्थल' के लिए सर्कुलेशन एरिया सहित निम्न मानक होंगे:- (क) खुले क्षेत्र में पार्किंग : 23 वर्ग मीटर (ख) कवर्ड पार्किंग : 28 वर्ग मीटर (ग) बेसमेन्ट में पार्किंग : 32 वर्ग मीटर |
| | | (iii) | पार्किंग के प्रयोजनार्थ स्टिल्ट फ्लोर अनिवार्य होगा। स्टिल्ट का उपयोग केवल पार्किंग के प्रयोजनार्थ ही किया जाएगा। इसमें जीना/लिफ्ट के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं होगा। |
| 26.8 | viii; vi §kk, a | (i) | उपर्युक्तानुसार भूखण्डों पर बहु-आवासीय इकाईयां अनुमन्य किये जाने से पूर्व आवेदक से उ.प्र. नगर योजना और विकास (विकास शुल्क का निर्धारण, उद्ग्रहण एवं संग्रहण) नियमावली, 2014 के प्राविधानानुसार विकास शुल्क जमा कराया जाएगा। |
| | | (ii) | नियोजित कालोनियों में एक से अधिक भूखण्डों को समेकित(Amalgamate) कर यह सुविधा अनुमन्य नहीं होगी। |
| | | (iii) | सम्बन्धित कालोनी/क्षेत्र की डेन्सिटी महायोजना/जोनल डेवलपमेन्ट प्लान में निर्धारित अधिकतम डेन्सिटी की सीमा के अन्तर्गत होनी चाहिए अन्यथा डेन्सिटी में संशोधन हेतु प्राधिकरण द्वारा नियमानुसार कार्यवाही करने के उपरान्त ही इकाईयों का निर्माण अनुमन्य किया जाएगा। |
| | | (iv) | भवन की स्ट्रक्चरल सेफ्टी के सम्बन्ध में मानचित्र स्वीकृति के समय स्ट्रक्चरल इन्जीनियर का प्रमाण-पत्र प्राधिकरण को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। |
| | | (v) | भवन की ऊँचाई ए.एस.आई के रेगुलेटेड एरिया, एयरपोर्ट फनल जोन तथा अन्य स्टैच्यूटरी नियंत्रण (यदि हो), आदि से नियन्त्रित होंगी। |
| | | (vi) | मानचित्र स्वीकृति के समय अग्निशमन विभाग की अनापत्ति (जहाँ आवश्यक हो)। |
| | | (vii) | भवन निर्माण सम्बन्धी अन्य अपेक्षाएं भवन निर्माण एवं विकास उपयोग के प्राविधानों के अनुसार होंगी। |
| | | (viii) | चार से अधिक आवासीय इकाईयों की स्थिति में उ.प्र. अपार्टमेंट (निर्माण, स्वामित्व और अनुक्षण का संवर्धन) अधिनियम, 2010 एवं तद्धीन बनाए गए रूल्स एवं बाई लाज प्रभावी होंगे। |